C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XII, Fifth Session, 2015/1937 (Saka)
No.15, Tuesday, August 11, 2015/Shravana 20, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.303 to 306	12-54
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.307 to 322	55-123
Unstarred Question Nos.3451 to 3680	124-651

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 652-663

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 664

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
21st Report 665

COMMITTEE ON PETITIONS
7th and 8th Reports 665

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
4th Report 665

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
13th to 16th Reports 666

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
7th Report 666

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS
(i) 6th Report 667
(ii) Statements 667-668

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
7th Report 669

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
87th Report 669

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 176th Report of the Standing Committee on Home Affairs on the 'Functioning of Delhi Police', pertaining to the Ministry of Home Affairs. 670

(i)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 184th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 179th Report of the Committee on 'Rehabilitation of J&K migrants', pertaining to the Ministry of Home Affairs.

Shri Haribhai Chaudhary 670

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries

Sadhvi Niranjan Jyoti 670

MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) SECOND BILL, 2015 – EXTENSION OF TIME 671

MATTERS UNDER RULE 377 698-723

(i) Need to construct embankments on rivers originating from Nepal causing land erosion in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ajay Mishra Teni 698

(ii) Need to take remedial steps to deal with drought condition in Santhal pargana and adjoining areas in Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 699-700

(iii) Need to provide employment opportunities to local people in mining jobs in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Subhash Chandra Baheria 701

(iv) Need to re-design the railway over bridge near Khurai-Rahatgarh Bus stop in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Laxmi Narayan Yadav 701

(v) Need to curb the unethical business of cultured diamond in the garb of natural diamonds.

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 702-703

(vi) Need to address the problems being faced by NRIs with regard to Passport, Visa and Consulate General Office

Shri Prem Singh Chandumajra 704

(vii) Need to institute an inquiry into the alleged irregularities of Panem Coal Mines Limited in Pakur district, Jharkhand causing heavy revenue loss to the exchequer

Shri Ravindra Kumar Pandey 705

(viii) Need to resolve the issue of transfer of state civil and police service officers from Uttar Pradesh to Uttarakhand

Shri Vinod Kumar Sonkar 706

(ix) Need to permit release of funds under Member of Parliament Local Area Development Scheme to organizations engaged in cleanliness drive in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Arjun Ram Meghwal 707

(x) Need to permit farming activity on land falling under Kanwar Lake Bird Sanctuary in Begusarai Parliamentary Constituency, Bihar

Dr. Bhola Singh 708

(xi) Need to set up a Krishi Vigyan Kendra in Hapur, Uttar Pradesh

Shri Rajendra Agrawal 709

(xii) Need to convert National Highway No. 79 between Kishangarh in Rajasthan and Ahmedabad into six lane

Shri Chandra Prakash Joshi 710

(xiii) Need to provide subsidy on seeds, irrigation and solar energy equipment to farmers in Rajasthan

Shri C.R. Chaudhary 711

(xiv) Need to construct a Road over Bridge on level crossing No. 1, on the Hubli-Gudag stretch of National Highway No. 63 in Karnataka

Shri Pralhad Joshi 712

(xv) Need to ban construction activity in the sensitive zone of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.

Dr. Kirit Somaiya 713

(xvi) Need to set up a Multi-Speciality Hospital at Ooty

Shri C. Gopalakrishnan 714

(xvii) Need for formation of Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulation Committee

Dr. J. Jayavardhan 715

(xviii) Trafficking of children in the country

Dr. Ratna De (Nag) 716

(xix) Need to take necessary steps for the establishment of Sub-regional Science Centres at Keonjhar, Jeypore and Khandapada in Odisha

Dr. Kulamani Samal 717

(xx) Need to take measures for the welfare of fishermen in the country

Shri Vinayak Bhaurao Raut 718

(xxi) Need to construct a fly-over at Morampudi section on National Highway No. 16 in Rajahmundry, Andhra Pradesh

Shri M. Murli Mohan 719

(xxii) Need to accord due importance to the services rendered by Central Paramilitary Forces

Shri Dushyant Chautala 720

(xxiii) Need to resolve the issue of ban imposed by RBI on transaction by Urban Co-operative bank located in Laldiggi Mohalla in Mirzapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shrimati Anupriya Patel 721

(xxiv) Need for expeditious construction of Mahe-Thalassery bye-pass road (N.H. No.–17), Kerala

Prof. Richard Hay 722

(xxv) Need to impose total ban on slaughter of cow in the country and take effective steps for conservation and development of cow and cow-breeds

Dr. Kirit P. Solanki 723

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Matters arising out of Indian Premier League(IPL) Controversy and other related issues

Shri Arjun Ram Meghwal 724, 728

(ii) Sustainable Development Goals

Shri Prahlad Singh Patel 734

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 740

Member-wise Index to Unstarred Questions 741-746

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 747

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 748-749

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 11, 2015/Shravana 20, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Mallikarjun Kharge, Dr. M. Veerappa Moily, Shri K.C. Venugopal, Shri Rajeev Satav, Shri P.V. Midhun Reddy, Dharmendra Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Md. Badaruddoza Khan, Shri N.K. Premachandran, Shri M.B. Rajesh, Dr. A. Sampath on different subjects.

The matters though important enough do not warrant interruption of the business of the day. The issues can be raised through other means also.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, the Question Hour. Q. No.303.

… (*Interruptions*)

11.02 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon Members, I will allow you in the `Zero Hour', not now. Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : हम हर एक विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं, हर एक विषय में सरकार चर्चा के लिए तैयार हैं, हमें तुरन्त चर्चा करने में आपत्ति नहीं है, मगर यह तरीका क्या है। ये लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपचार कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार करना अच्छा नहीं है। आप बिजनेस चलाइये। इनका सुषमा जी केवल बहाना हैं, इनको जी.एस.टी. को रुकवाना है।

… (*Interruptions*)

<u>11.03 hrs.</u>

<u>ORAL ANSWERS TO QUESTIONS</u>

HON. SPEAKER: Q. No.303 – Shri Radheshyam Biswas

… (*Interruptions*)

(Q. 303)

SHRI RADHESHYAM BISWAS: Madam, the House is not in order. कुछ सुना नहीं जा रहा है। … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have to say Question Number only.

… (*Interruptions*)

SHRI RADHESHYAM BISWAS: The House is not in order. I cannot ask any question, Madam. … (*Interruptions*) Okay, I am satisfied. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It seems you have no supplementary. Okay.

… (*Interruptions*)

SHRI V. ELUMALAI: Madam Speaker, the State of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of our beloved leader *Puratchi Thalaivi Amma*, is the leading State in the country to implement a scheme to increase the level of processing so as to reduce wastage, increase value addition and enhance the income of farmers as well as increase exports thereby resulting in the overall development of the food processing sector. … (*Interruptions*) In every District, the Food Processing Mission Committee has been formed. … (*Interruptions*) The Centre bears 75 per cent of the cost and the State contributes 25 per cent of the cost for this scheme. … (*Interruptions*) So, looking into the whole issue of food processing sector, I would like that the Centre should bear the entire cost of the scheme so that this can be made more effective. … (*Interruptions*) I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering making it 100 per cent Centrally-funded scheme as the waste of fruit and vegetables is not properly utilized and the cost of such wastage will be much more than the grant we provide.… (*Interruptions*)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Madam, the hon. Member is absolutely right that food processing plays a very important role in reducing the wastage as well as ensuring that farmers get better remuneration for their produce. … (*Interruptions*) This sector is also one of the highest generators of employement. … (*Interruptions*) The Central Government is having a Mega Food Park Scheme where it gives subsidy upto 50 per cent of the project cost in the general areas and up to 75 per cent of the project cost in the hilly and Northeastern States. … (*Interruptions*) So, we are already giving subsidy up to 50 per cent of the project cost in the general areas subject to a limit of Rs. 50 crore. … (*Interruptions*) The system is that the Government selects the places and invites the people there to apply for it. … (*Interruptions*) As and when they apply, a Committee goes through the applications and decides on the basis of a very transparent system and the Mega Food Parks are sanctioned. … (*Interruptions*) As of now, the Government does not have any plan to take over the Mega Food Parks. … (*Interruptions*) But there is a National Mission on Food Processing under which… (*Interruptions*) Every State gets allocation of money for food processing… (*Interruptions*)

SHRI PARESH RAVAL: Madam, I thank you very much for giving me this opportunity.

महोदया, गुजरात के अंदर मैंगो का प्रोडक्शन तीसरे नम्बर पर है और केला, पपीता, चीकू, नारियल, अमरूद वगैरह फलों का उत्पादन भी गुजरात में ज्यादा होता है।...(व्यवधान) गुजरात सब्जी उत्पादन में भी छठे नम्बर पर है।...(व्यवधान) गुजरात के हर जिले में विभिन्न सब्जियों का उत्पादन होता है, जिसमें प्याज, बंदगोभी, फूलगोभी, टमाटर, आलू, बैंगन इत्यादि मुख्य रूप से हैं।...(व्यवधान) इन सारी सब्जियों और फलों के वैल्यू एडीशन के लिए खाद्य प्रसंस्करण तकनीक को गांवों तक पहुंचाने की जरूरत है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में, उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नयी तकनीक-आधारित 'मेगा खाद्य पार्क' को ग्रामीण इलाकों में विकसित करने की क्या सरकार की कोई योजना है?...(व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Madam, as I said just now, the Government is already implementing a Mega Food Park Scheme which is exactly with the aim to ensure that the farmers get the option of taking their products there and sell them so as to increase their income.… (*Interruptions*) There is already one Mega Food Park coming up in Gujarat in Surat as well as another one which has been sanctioned in the Kutch area. … (*Interruptions*) This is a new one. … (*Interruptions*) All these Mega Food Parks take a period of 30 months for implementation. … (*Interruptions*) I am sure with these Mega Food Parks coming up, the farmers will have an avenue where they can take their products and sell them there. … (*Interruptions*) As you know, there is a.… (*Interruptions*) which works on the produce of farmers and use them as raw material. … (*Interruptions*) As much as this industry progresses, the demand of the produce of farmers will go up. … (*Interruptions*) In a season where there is so much of crop, there is a glut in the market and the farmers do not get proper price for their produce, they can go to these Mega Food Parks where there will always be a demand for their produce. … (*Interruptions*) So, this is exactly how we are trying to ensure that in the next 30 months there is at least one Mega Food Park in every State.… (*Interruptions*)

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि मेगा फूड पार्क उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हुए थे, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने क कारण वे सुचारू रूप से काम नहीं कर सके और न ही कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या संस्था, जैसा कि मेगा फूड पार्क के लिए जो नार्म्स हैं, पचास एकड़ या उससे ज्यादा की भूमि यदि अपने तरीके से अर्जित करके कोई उपलब्ध कराता है तो क्या माननीय मंत्री जी उसके लिए कोई विशेष प्रावधान करने का काम करेंगी? ...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, जैसा मैंने बताया कि मेगा फूड पार्क स्कीम के संबंध में सरकार की तरफ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट इनवाइट किया जाता है। ...(व्यवधान) प्राइवेट पार्टीज जो इसे लगाने के लिए इंट्रेस्टेड हैं, जहां पर भी वे लगाना चाहें, उसे लगाने के लिए एप्लाई करती हैं। ...(व्यवधान) जहां तक

उत्तर प्रदेश की बात है, सारे माननीय सांसद अच्छी तरह से जानते हैं। ...(व्यवधान) अमेठी की बात उठी थी। ...(व्यवधान) अमेठी में एक फूड पार्क सैंक्शन हुआ था, जो पांच साल तक लगवा ही नहीं सके। ...(व्यवधान) इसी तरह से वर्ष 2008 में रायबरेली के लिए भी एक फूड पार्क सैंक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश समय से पहले ही उसका काम ठप्प कर दिया गया। ...(व्यवधान) उसका क्या कारण था, यह पिछली सरकार भी जानती है। ...(व्यवधान) इस बार भी जब नए मेगा फूड पार्क्स के लिए टेंडर इनवाइट किए गए तो किसी बड़ी पार्टी ने या किसी अच्छी पार्टी ने आगे आकर मांग नहीं रखी। ...(व्यवधान) हमारा भी ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होने के नाते, यहां यह जरूर लगे। ...(व्यवधान) पचास एकड़ एक मेन क्राइटेरिया होता है, जो इस पूरे मेगा फूड पार्क का जो मॉडल है कि हब एंड स्पोक सेंट्रल फैसिलिटीज हो। ...(व्यवधान) उसी सेंट्रल फैसिलिटी का फायदा लेने के लिए, जिससे छोटे-छोटे यूनिट्स वहां आकर लगा सकें। ...(व्यवधान) इसमें उनका खर्च कम होता है, क्योंकि वे कॉमन फैसिलिटी का फायदा लेते हैं। ...(व्यवधान) सभी किसानों की पहुंच तक उनके प्राइमरी और कलेक्शन सेंटर्स हों। ...(व्यवधान) यह बहुत बड़े रेडियस को कवर करता है। ...(व्यवधान) यह सारा कुछ सेंट्रल फैसिलिटी को फीड करता है। ...(व्यवधान) फिलहाल सिर्फ पचास एकड़ जमीन वाली स्कीम है, लेकिन मंत्रालय ने एक नई स्कीम फ्लोट की है, जहां यह फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। ...(व्यवधान) यह जब फाइनैंस और कैबिनेट से एप्रूव होगी, तब यह स्कीम लागू होगी। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान जो आपने उत्तर दिया है, उसके प्रति आकर्षित करना चाहूँगा। ...(व्यवधान) आपने जवाब के "ई " पार्ट में लिखा है कि 10 फरवरी, 2014 को इंटरमिनिस्ट्रीयल अप्रूवल कमेटी की मीटिंग में कुछ जो फूड पार्क थे, उन्हें कैंसिल करने का निर्णय हुआ। ...(व्यवधान) उस मीटिंग के बारे में तथा जो आपने साथ में सूची दी है, इसमें 53 नम्बर पर शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है, मैं यह जानना चाहूँगा कि यह शक्तिमान फूड पार्क क्या अमेठी का है और वह कैंसिल किस कारण से हुआ? ...(व्यवधान) क्या यह पहले रायबरेली में और किसी कंपनी को आबंटित हुआ था और वहाँ से इसे क्यों कैंसिल किया गया? ...(व्यवधान) क्या इस फूड पार्क वाले ने सरकार से आग्रह किया कि मुझे सब्सिडाइज रेट पर आप कैप्टिव पॉवर प्लांट के लिए गैस देंगे? ...(व्यवधान) तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ...* ने इससे इंकार करके कहा कि गैस आपको नहीं दी जाएगी। ...(व्यवधान) उनकी पार्टी के नेता ... * के आग्रह के बावजूद, इस संबंध में आप स्थिति स्पष्ट करें। ...(व्यवधान)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Name should not be taken.

… (*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और उन्होंने डिटेल में बहुत सी चीजें पूछी हैं। …(व्यवधान) इसमें कोई शक नहीं कि अमेठी में फूड पार्क वर्ष 2010 में ऐलान किया गया था। …(व्यवधान) अमेठी फूड पार्क की कहानी वर्ष 2008 में शुरू होती है। …(व्यवधान) जब यह मेगा फूड पार्क की स्कीम लागू हुई, उस समय 10 मेगा फूड पार्क्स के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्सप्रैशन ऑफ इंट्रेस्ट इन्वाइट किया गया था। …(व्यवधान) जिसमें से रायबरेली उत्तर प्रदेश में चुना गया।…(व्यवधान) 'हिन्दुस्तान मेगा फूड पार्क' नामक एक कंपनी ने रायबरेली में फूड पार्क के लिए अप्लाई किया…(व्यवधान) जिसको फूड पार्क लगाने के लिए अप्रूवल मिल गया और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में यह नोट भी किया गया कि उसके पास जमीन भी है…(व्यवधान) तो यह पार्क जल्दी लग सकता है।…(व्यवधान) लेकिन एलॉट होने के बाद, इनप्रिंसिपल अप्रूवल के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए 6 महीने का समय होता है।…(व्यवधान) क्या हुआ उसके बारे में शायद रायबरेली या अमेठी वाले बता सकते हैं?…(व्यवधान) लेकिन उस 'हिन्दुस्तान मेगा फूड पार्क' को 2 महीने के बाद ही कैंसिल किया गया और कहा गया कि उसके पास जमीन नहीं है। …(व्यवधान) जबकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में यह नोटेड है कि उसके पास जमीन है।…(व्यवधान) इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए दोबारा ई.ओ.आई.फ्लोट किया गया।…(व्यवधान) फिर, पांच कम्पनियों ने अप्लाई किया।…(व्यवधान) उनमें से एक एल.आर. इंफ्रास्ट्रक्चर भी था।…(व्यवधान) लेकिन पांचों कम्पनियों को इनएलिजैबल करके रद्द कर दिया गया। …(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के लिए तीसरी बार वर्ष 2010 में ई.ओ.आई. फ्लोट किया गया।…(व्यवधान) तब 'आदित्य बिरला ग्रुप' के 'शक्तिमान मेगाफूड' और एल.आर. ने दोबारा अप्लाई किया।…(व्यवधान) अब शक्तिमान को मेगाफूड पार्क एलॉट किया गया।…(व्यवधान) इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के लोग जब उसे एलॉट कर रहे थे…(व्यवधान) तो उधर फैसले में लिखा गया है कि जब यह अपने फाइनल अप्रूवल का क्राइटैरिया छः महीने में पूरा नहीं कर सकेंगे तो वह एल.आर को दिया जायेगा।…(व्यवधान) लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 तक चार साल उनकी सरकार रही।…(व्यवधान) अमेठी के बारे में आप सब जानते हैं कि वह एक ऐसा पार्लियामेंट्री हलका है…(व्यवधान) जहां के माननीय सांसद को इतनी पावर थी कि प्रधानमंत्री के कागज तक को वह फाड़ सकते थे।…(व्यवधान) लेकिन, इन सब के बावजूद चाल सालों में फूड पार्क के लिए वह जमीन भी नहीं दिलवा सके।…(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इस पार्क ने कैपटिव पावर प्लांट के लिए सस्ती गैस की मांग की थी?…(व्यवधान) यह बिल्कुल सही है कि अमेठी में जो फूड पार्क लग रहा था।…(व्यवधान) अब तक

रायबरेली में यह लग भी जाता लेकिन उसको बंद करवाया गया।...(व्यवधान) 'शक्तिमान मेगा फूड पार्क' ने डी.पी.आर. में 60-70 प्रतिशत अपने रेवेन्यू मॉडल से बिजली बेचकर मुनाफा कमा रहे थे।...(व्यवधान) फूड प्रोसेसिंग या फूड पार्क का उनका इरादा ही नहीं था। ...(व्यवधान) इसलिए उन्होंने सस्ती गैस की मांग रखी।...(व्यवधान) जब सस्ती गैस के लिए कहा गया।...(व्यवधान) माननीय मोइली जी उस समय मंत्री थे।...(व्यवधान) उनकी चिट्ठी है कि हम सस्ती गैस नहीं दे सकते हैं।...(व्यवधान) माननीय सांसद वह क्यों नहीं दिलवा सकते थे जब प्रधानमंत्री तक उनकी तरफ थे।...(व्यवधान) जब उन्होंने सस्ती गैस देने से इंकार किया।...(व्यवधान) 'शक्तिमान मेगा फूड पार्क' की यह चिट्ठी है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम यह प्रोजैक्ट को विदड्रा करते हैं।...(व्यवधान) क्योंकि सस्ती पावर के बिना हम इसे लगा ही नहीं सकते हैं।...(व्यवधान)

मैडम, वर्ष 2013 के फरवरी महीने में, अमेठी फूड पार्क के 'शक्तिमान मेगा फूड पार्क' के लोगों ने कहा कि हम इसे नहीं लगा सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन, वर्ष 2013 के अक्टूबर महीने में, इलैक्शन से छः महीने पहले माननीय सांसद द्वारा अमेठी में जाकर शिलान्यास किया गया।...(व्यवधान) इसके बावजूद शोकॉज नोटिस फॉर कैंसिलैशन वर्ष 2012 में इश्यू हो चुका था। ...(व्यवधान) और पार्टी ने वर्ष 2013 के फरवरी महीने में विदड्रा कर लिया था।...(व्यवधान) लेकिन लोगों को गुमराह करने करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया।...(व्यवधान) पिछले सत्र में हम पर अंगुली उठायी गयी कि हमने उसे कैंसिल कर दिया।...(व्यवधान)

आज असत्य की राजनीति का यही नतीजा है।...(व्यवधान) यह आज व्यापम की बात करते हैं।...(व्यवधान) किसानों की बात करते हैं।...(व्यवधान) किसानों के पेट पर लात मारने वाले खुद आज किसानों के रखवाले बनने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह सारा शोर जो मच रहा है।...(व्यवधान) यह देश की उस जनता से बदला लेने के लिए है...(व्यवधान) जिन्होंने उनकी नीतियों के कारण उन्हें बाहर निकाला।...(व्यवधान)

(Q. 304)

श्री रोड़मल नागर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगभग 770 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है।...(व्यवधान) उन युद्ध विराम उल्लंघनों के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी बार आपत्ति दर्ज करायी गयी है?...(व्यवधान) पाकिस्तान सरकार नें हमारी आपत्तियों का क्या-क्या जवाब दिया है?

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान बार्डर में जब सीज़फायर वॉयलेशन होता है, उसमें एक प्रक्रिया है जिसके मुताबिक फ्लैग मीटिंग होती है। ...(व्यवधान) जब फ्लैग मीटिंग होती है तो बार्डर सिक्युरिटी फोर्सेज के कमांडर ऑफिसर उसे दर्ज करते हैं। वह एक प्रक्रिया है। ...(व्यवधान) ऐसा कितनी बार हुआ, इसकी अलग से जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भी घटना होती है, उस हिसाब से वहां बात रखी जाती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपका व्यवहार बिल्कुल अनरूली है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चेयर के सामने आना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not good.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again and again I am telling you. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

श्री रोड़मल नागर : अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार को पाकिस्तानी सेना और घुसपैठी आतंकियों के आपस में संबंध का कोई प्रमाण प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की ओर से समय-समय पर पाकिस्तान को पुख्ता सबूत दिया जाता है।...(व्यवधान) जो आतंकवादी पाकिस्तान की धरती से ट्रेनिंग लेकर हिन्दुस्तान आता है, उसकी जानकारी उसे देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां लगातार काफी सालों से चली आ रही हैं।...(व्यवधान) इसलिए यह कोई नई गतिविधि नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम उन्हें

अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं।...(व्यवधान) इस पर कार्यवाही करके और बातचीत के माध्यम से भी लगातार जो खबर देनी है, वह उन्हें पहुंचाई जाती है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Rakesh Singh – not present.

Shri Kalikesh N. Singh Deo.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, it is a common knowledge that under the guise of ceasefire violations, terrorists infiltrate into Indian territory, and we have seen the result of that in the last two, three weeks with terrorist attacks all over Jammu and Kashmir. … (*Interruptions*) Madam, these are acts done either by omission or by commission of the top leadership of the Pakistani Government. … (*Interruptions*) While, on the one hand this has been continuously happening, our Indian Government is holding NSA to NSA talks with Pakistan. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You all go back to your seats. After that, I will hear you.

… (*Interruptions*)

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, I would like to know categorically from the Home Minister whether it is appropriate to hold NSA to NSA talks with Pakistan in this environment when the Pakistani Government continues to have ceasefire violations and send terrorists across to India under the guise of ceasefire violations. … (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, for the question which the hon. Member raised about NSA to NSA talk, this is not for the NSA level talk, this is not for the Home Ministry to respond but when it comes to the question of the terrorists being propped up and supported by the elements in the Pakistani Government, the Government of India, from time to time, has categorically stated with evidence also that there are elements within the Pakistan Government who actively talk part in their efforts to train and send militants into the Indian territory. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. I am not going to adjourn the House, and because of you, all other Members are suffering. Please go back to your seats. You can discuss it but not like this. I will not hear anything.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Sher Singh Ghubaya.

… (*Interruptions*)

श्री शेर सिंह गुबाया: अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया से पीस-वॉयलेशन की और समझौते को ठुकराकर भारत की तरफ आकर लोगों को मारने की कोशिश की, टैरोरिज़्म फैलाने की कोशिश की।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not do that. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

श्री शेर सिंह गुबाया: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आजादी की लड़ाई में और जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है या कोई ऐसा माहौल पैदा होता है, तो जो लोग हमारे देश की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।...(व्यवधान) जो लोग गरीब परिवार से संबंधित हैं, वे लोग ट्रेनी हैं, जैसे पंजाब होम गार्ड और बीएसएफ के साथ काम करते हैं।...(व्यवधान)कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की खातिर मर-मिटने के लिए तैयार रहते हैं ...(व्यवधान) कुछ लोग पाकिस्तान में जाकर सी.आई.डी काम करते हैं ...(व्यवधान) आर्मी और फोर्सेज उनसे काम करवाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि उनके हक को कभी सरकार ने पूरा नहीं किया है ...(व्यवधान), हजारों लोग जो पंजाब होम गार्ड और अन्य फोर्सेज में हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है उनका हटा दिया जाता है ...(व्यवधान)। जब कोई लड़ाई होती है, ...(व्यवधान) दीनानगर का जब कांड हुआ उस समय पता चला कि कुछ लोगें ने ट्रेनिंग ली हुई थी, ...(व्यवधान) उसे पिंडों में जाकर पहरा देने के लिए कहा जाता है ...(व्यवधान)। इन लोगों को पंजाब फोर्से में, पंजाब होम गार्ड में पक्की नौकरी नहीं दी गई है ...(व्यवधान)। पाकिस्तान में जो सीआईडी का काम करते हैं इसकी वजह से उनको मौत के घाट भी उतारा गया, वे 20-20 सालों से जेल की सजा काट रहे हैं ...(व्यवधान) न उनके परिवारों को कम्पन्सेट किया गया है ...(व्यवधान) न उनके परिवार में किसी को नौकरी दी गई है ...(व्यवधान)। मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए होमगार्ड में, या अन्य फोर्सेज में नौकरी देंगे, जिससे उसके परिवार का गुजारा चल सके?

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, जिसने भी भारत सरकार के लिए काम किया है और अपना जीवन दिया है, ...(व्यवधान) उनके परिवारजनों के लिए भारत सरकार ने मदद करने के लिए कई प्रावधान किए हुए हैं

...(व्यवधान) लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ खास परिवारों के बारे में कहा है ...(व्यवधान) उसके बारे में हम जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते ...(व्यवधान)। अगर कोई ऐसा परिवार है तो उसका नाम सहित ऐसी घटना को मंत्रालय के संज्ञान में ला सकते हैं ...(व्यवधान) लेकिन इस मामले में हम जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं ...(व्यवधान)।

कर्नल सोनाराम चौधरी: महोदय, मैं बाड़मेर से आता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां करीब 700 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बार्डर है ...(व्यवधान)। उस बार्डर पर फेन्सिंग हो गई है और हेडलाइटस लगी है कुछ जगहों पर गैप्स हैं जहां से उग्रवादी आ सकते हैं ...(व्यवधान), वहां से कई बार वेपन्स आए हैं, नारकोटिक्स आए है ...(व्यवधान)। आपको पता ही होगा अभी जो उग्रवादी गुरूदासपुर में आया था ...(व्यवधान) वह फेन्सिंग काट कर आया था ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि वहां जो फेन्सिंग में गैप्स है और बार्डर आऊट पोस्ट हैं जिसमें बहुत ज्यादा गैप है ...(व्यवधान) जहां से आतंकवादियों के आने का अंदेशा बना रहता है, ...(व्यवधान) पंजाब में तो फेन्सिंग सिक्योरड है लेकिन आगे आने वाले समय में वहां से ज्यादा टेररिस्ट घुसने की कोशिश करेंगे ...(व्यवधान)। मेरा सवाल है कि जहां फेन्सिंग में गैप्स है ...(व्यवधान) क्या उसे ठीक करेंगे और जहां फ्लड लाइट ठीक नहीं है ...(व्यवधान) उसे ठीक करेंगे और बीएसएफ के बोर्डर आउट पोस्ट की संख्या बढ़ाएंगे ...(व्यवधान) जिससे वहां से कोई टेररिस्ट नहीं घुस सके और बार्डर पर रहने वाले लोग भी सुरक्षित रह सकें?

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, राजस्थान में 1037 किलोमीटर पाकिस्तान से बार्डर है। ...(व्यवधान) हमारे बार्डर पर जो फेन्सिंग है ...(व्यवधान) पंजाब और राजस्थान की फेन्सिंग काफी पुरानी हो गई है, ...(व्यवधान) जगह-जगह से फेन्सिंग काट कर इनफिल्ट्रेशन की संभावना बनी रहती है। ...(व्यवधान) मंत्रालय की कोशिश रहती है कि जो पुरानी फेन्सिंग हैं उसे फिर से बनाने के लिए प्रयास किया जाए। ...(व्यवधान) राजस्थान में फेन्सिंग कम्पलीट है। ...(व्यवधान) टोटल लेंथ 1022 किलोमीटर की फेन्सिंग कम्पलीट है। ...(व्यवधान) कुछ जगहों पर फेन्सिंग पुरानी होने के कारण इनफिल्ट्रेशन और स्मगलिंग की खबर आती रहती है। ...(व्यवधान) हम लोग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन के माध्यम से और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट में भी लगातार बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। बीओपी से माइनिंग करने में जो फ्लड लाइट चाहिए ...(व्यवधान) उस बारे में हम हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो उसे हम बहुत सीरियसली लेते हैं। ...(व्यवधान)

श्री जुगल किशोर: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले देशभक्त लोगों पर पाकिस्तान बहुत अत्याचार करता है। ...(व्यवधान) वे

पाकिस्तान की गोलियों और गोलों का सामना भी करते हैं। ...(व्यवधान) वे वहां पर शहीद भी हो जाते हैं।...(व्यवधान) लेकिन उनको राहत के तौर पर दो पैसे भी केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं मिलते हैं। ...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर की सरकार उन शहीदों के परिवार वालों को मात्र एक लाख रुपये देती है। ...(व्यवधान) यह एक लाख रुपये शहादत देने वाले के लिए काफी नहीं है। ...(व्यवधान) उसके पीछे जो परिवार रह जाता है, वह दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। ...(व्यवधान)

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि क्या केन्द्र सरकार उन शहीदों के परिवार वालों को पांच लाख रुपये और नौकरी देने का कोई प्रावधान करेगी, ताकि शहीद होने वाले व्यक्ति का परिवार अपना जीवन-निर्वाह ठीक तरह से कर पाये। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ बॉर्डर पर फैंसिंग लगी होने के कारण उस पार जमीन पर भी वे लोग खेती-बाड़ी नहीं कर सकते। ...(व्यवधान) उनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती।...(व्यवधान) हमारा कहना है कि बॉर्डर के लोगों के लिए भर्ती अभियान तुरंत चलाया जाना चाहिए, ताकि वे देश भक्त लोग बॉर्डर पर डटे रहें। ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ...(व्यवधान) फिलहाल एक लाख रुपया जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के माध्यम से शहीद होने वाले के परिवार जनों को दिया जाता है। ...(व्यवधान) अगर कोई इंजार्ड होता है, तो उसे पांच हजार रुपया देने का प्रावधान है। ...(व्यवधान) उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के पास जो रेड क्रॉस फंड है, वहां से भी लोगों को पैसा देने का प्रावधान है। ...(व्यवधान) जो एक लाख रुपया या पांच हजार रुपया देने का प्रावधान है, वह सैक्रेटी ...(व्यवधान) एक्सपेंडीचर के माध्यम से उसका भुगतान भारत सरकार करती है। ...(व्यवधान) चूंकि माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जो लोग बॉर्डर मे रहते हैं, वे देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए भारत सरकार की ओर से एक कैबिनेट नोट मूव किया गया है। ...(व्यवधान) अगर क्रॉस फायरिंग या पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे पांच लाख देने का एक कैबिनेट नोट मूव किया गया है। ...(व्यवधान) अगर वह नोट एप्रूव हो जाता है, तो उन लोगों को लिए बहुत अच्छा काम होगा। ...(व्यवधान) क्योंकि हमें मालूम है कि बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, वे एक दृष्टि से भारत की सीमा की रक्षा भी करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गये हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बहुत छोटा प्रश्न पूछिये।

…(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बॉर्डर क्रॉस से जो टैरेरिस्ट आते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आर्मी के अलावा अन्य प्रदेशों की पुलिस भी काम में आती है? …(व्यवधान) यदि वह काम में आती है, तो पुलिस के इक्विपमैंट्स के नवीनीकरण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। …(व्यवधान) मुझे इस बात का खेद है कि पंजाब को इस संबंध में पिछले वर्ष 40 करोड़ रुपये दिये गये, जबकि इस वर्ष केवल 15 करोड़ रुपये ही दिये गये। …(व्यवधान) यह सच है कि दीनानगर में जो टैरेरिस्ट घटना घटी, उसमें पंजाब प्रदेश की पुलिस ने मुकाबला किया और उन टैरेरिस्टों को मार गिराया। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के इक्विपमैंट्स के नवीनीकरण के लिए केन्द्र सरकार क्या उस राशि को बढ़ाने के बारे में कुछ सोच रही है? …(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सप्ताह माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दीनानगर की घटना में पंजाब पुलिस की कार्रवाई की सराहना की थी। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा पंजाब पुलिस का बहुत योगदान रहा है। पंजाब पुलिस ने बार्डर एरिया में सैंट्रल आर्म्ड फोर्सिस बीएसएफ या अन्य सिक्योरिटी एजेंसियां जो काम करती हैं, को सहयोग दिया है।…(व्यवधान)

जहां तक रिइम्बर्समेंट का सवाल है, किसी भी राज्य सरकार की पुलिस फोर्स अगर केंद्र की मदद के लिए आती है तो सिक्योरिटी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिइम्बर्स करने का प्रावधान है। अगर पंजाब पुलिस का इस कानून के तहत या हमारी पालिसी के तहत कुछ पेंडिंग है तो गृह मंत्रालय में इसका अध्ययन जरूर होगा और पंजाब का रूल के तहत जो ड्यु है, उसे जरूर पूरा किया जाएगा।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग टीवी पर आ जाएं, बहुत अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान को देखने दो, अच्छे से देखने दो।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. No. 305.

Shri Badruddin Ajmal – Not present.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri C. Mahendran.

(Q.305)

… (*Interruptions*)

SHRI C. MAHENDRAN: Hon. Speaker Madam, before I start my supplementary, I pray to my Goddess and hon. Puratchi Thalaivi Amma. … (*Interruptions*)

Madam, funds are being allocated under Rashtriya Krishi Vikas Yojana to various States and other agencies. … (*Interruptions*) The fund allocated by the Union Government to the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore for the year 2014-15 was Rs. 2.50 lakh only, which is very low. … (*Interruptions*) I would like to ask the hon. Minister whether there is any proposal to increase the allocation of funds to Sugar Breeding Institute, Coimbatore during this financial year. … (*Interruptions*)

Further, I would like to know whether the Union Government has any proposal to give any financial assistance to sugarcane growers directly. … (*Interruptions*)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष जी, अगर राज्य सरकार की तरफ से फंड बढ़ाने की मांग आती है तो निश्चित रूप से फंड बढ़ाया जा सकता है। …(व्यवधान) जहां तक केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट शुगरकेन फार्मर की मदद करने की बात है, यह कई प्रकार से की जा रही है। पिछले महीने 6000 करोड़ का सॉफ्ट लोन केंद्र सरकार द्वारा एनाउंस किया गया है। इसका एक वर्ष का 600 करोड़ रुपए ब्याज दिया जाएगा।…(व्यवधान) ऑलरेडी केंद्र सरकार द्वारा एक्सपोर्ट सब्सिडी एनाउंस की गई है। ऐसी कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। गन्ना उत्पादक किसानों ने पंजाब में बहुत दिक्कतों का सामना किया। उनके साथ एग्रीमेंट करके कमाद की खेती करवा ली गई लेकिन समय पर गन्ना उठाया नहीं गया। …(व्यवधान) पर्ची सिस्टम में पर्ची

नहीं मिली और कई सालों की पेमेंट पेंडिंग है। अब चीनी मिल अखबारों में एड दे रही हैं कि अगली फसल नहीं उठाएंगे। यह एक साल की फसल है इसलिए किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है।...(व्यवधान) क्या इसकी जानकारी कृषि मंत्रालय को है कि चीनी मिलें इस तरह की एड दे रही हैं कि गन्ने की फसल को उठाने के काबिल नहीं हैं इसलिए मिल बंद करने जा रहे हैं? क्या कृषि मंत्रालय इन किसानों की मदद के लिए कुछ उपाय करने की सोच रहा है?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र कंट्रोल एक्ट के तहत राज्यों को पूरा अधिकार दिया गया है। ...(व्यवधान) इस अधिकार के तहत किसानों के मूल्य का भुगतान 15 दिन तक नहीं होगा, इसके लिएउनके एरिया एलॉट किए गए हैं और राज्य सरकार इस पर पूरी कार्यवाही कर सकती है। पूरे राज्यों को पहले से पर्याप्त अधिकार दिया हुआ है।

श्री प्रतापराव जाधव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे किसान वहां पर गन्ने की खेती करते हैं,...(व्यवधान) लेकिन पिछले साल हमारे किसानों का जो एम.एस.पी. मूल्य तय किया गया था, वह एम.एस.पी. मूल्य किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) मुझसे पहले मेरे एक साथी ने जो प्रश्न उठाया था कि जो बहुत सारी चीनी मिलें हैं, उनके मालिक और उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि अगले साल हम अपनी मिलों को चालू नहीं कर सकते।...(व्यवधान) इससे बहुत सारे किसान दिक्कत में आए हैं।...(व्यवधान) पहले ही महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?...(व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में अगर किसानों को गन्ना लगाना है तो ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से ही उनको गन्ना लगाना चाहिए। तीन साल का अल्टीमेटम दिया गया था। अभी दो साल समाप्त हो गये हैं।...(व्यवधान) अगर अगले साल किसानों को गन्ना लगाना है तो क्या उसके लिए ड्रिप इरीगेशन जरूरी है या फ्लड के इरीगेशन के माध्यम से भी वे गन्ना लगा सकते हैं?...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में करीब किसानों का 3140 करोड़ रुपया शुगर मिलों पर बकाया है।...(व्यवधान) यह बिल्कुल ठीक बात है।...(व्यवधान) जो चीनी के दाम हैं, चाहे वह डौमैस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, दाम गिरने की वजह से जो चीनी मिलों को घाटा हुआ है, उसकी वजह से किसानों को पेमेंट मिलने में देरी हो रही है।...(व्यवधान) इसके बारे में केन्द्र सरकार द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं। निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में जल्दी ही ये ड्यूज क्लिअर कर दिये जाएंगे। ...(व्यवधान)

जहां तक अगले सीजन में शुगर मिल न चलाने की बात है तो निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।...(व्यवधान) वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि कोई शुगर मिल अगर नहीं चलती तो राज्य सरकार उसका अधिग्रहण करके चला सकती है।...(व्यवधान) जहां तक माननीय सदस्य ने जो कहा है कि ड्रिप इरीगेशन के बिना क्या गन्ना बोया जा सकता है? यह प्रदेश का विषय है।...(व्यवधान) मगर प्रदेश सरकार ने इसमें एक नोटिस जारी किया है तो प्रदेश सरकार इसका जवाब दे सकती है।...(व्यवधान)

केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को ड्रिप इरीगेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। वैसे भी ड्रिप इरीगेशन का सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र सरकार को ही जा रहा है।...(व्यवधान) यह राज्य सरकार का विषय है।...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार के प्रयत्नों से गन्ने की बुवाई में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है,...(व्यवधान) और सरकार ने किसानों के गन्ने की फसलों को और पोपुलर बनाने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं ...(व्यवधान) लेकिन आजकल चूंकि देश की जो अधिकतर चीनी मिलें हैं, वे किसानों का भुगतान नहीं कर सकी हैं और भारत सरकार ने मिलों को भी राहत देने के लिए 6600 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या जो प्राइवेट सैक्टर में चीनी मिलें हैं, विशेषकर मेरे लोक सभा क्षेत्र में नारायणगंज में जो एक चीनी मिल है, क्या मिलों के पास इस लोन को लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी न होने के कारण भारत सरकार ने जो सॉफ्ट लोन की पेशकश की थी, क्या उसको लेने से मना कर दिया है?...(व्यवधान) और उनके मना करने के परिणामस्वरूप बहुत से किसानों की बकाया राशि आज भी बाकी रह गई है जिससे किसान चिंतित हैं? क्या सरकार इस विषय में कोई और कदम उठाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके?...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, वर्ष 2013-2014 में भी गन्ना मिलों से किसानों को राहत देने के लिए भुगतान करने के लिए 6600 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए गए थे लेकिन वे पैसे किसानों को नहीं मिल पाए थे।...(व्यवधान) इसीलिए इस वर्ष हमारी सरकार ने छह हजार करोड़ रुपया मुहैया कराया है और इसके लिए शर्त रखी है कि किसान के खाते में जब भुगतान होगा, तभी हम इसके सूद पर माफी देंगे।...(व्यवधान) इसके कारण निश्चित रूप से इस बंधन के कारण शुगर मिलों की वह स्पीड नहीं है लेकिन फिर भी अभी तक 48 एप्लीकेशन आ गई हैं और हमारी फूड सप्लाई मिनिस्टरी इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर वापिस चले जाएं। आप लोग देश में गलत संदेश दे रहे हैं। 40-50 लोग मिलकर 440 लोगों का अधिकार मार रहे हो। 400 से ज्यादा लोग सदन चलाना चाहते हैं। देश में आप लोग बहुत गलत संदेश भेज रहे हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन बोलने के लिए है, चर्चा करने के लिए है। Please go back to your seats. I will allow you to speak. देश में बहुत गलत संदेश जा रहा है। I am really very sorry to say this. Please go back to your seats.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. You have go back to your seats.

… (*Interruptions*)

(Q. 306)

HON. SPEAKER: Q. No. 306, Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not asking the question.

Shri Pinaki Misra.

SHRI PINAKI MISRA: Madam, I am very grateful to the hon. Minister for having given a very detailed and a very candid reply. I am particularly chagrined and very, very disturbed by his answer to part (d) which shows the very dismal position and condition that obtained in the Ministry of Environment and Forest *in the very corrupt regime of the UPA in 2012-13 and 2013-14.* The figures are clear. Less than 50 per cent of the Grants-in-aid was given by the Ministry to the States and Union Territories for the reforestation programme. This is a distressing situation.

I am very, very concerned because we have seen the spectacle of POSCO where forest clearance was not given for more than two years. [*]*the POSCO people to pay bribes as a result of which forest clearance was not given*. FDI worth Rs. 52,000 crore could not come to this country...*. It is a shocking state of affairs. ...* I cannot understand this. Why should files be not dealt with in the office in Delhi? Why should files go to the Minister's residence in Chennai? Who has to answer? This kind of corruption was exhibited and the results are here. Less than 50 per cent has been given to the States.

My question is, now there is a little bit of fresh air that this new Minister has brought in....* The new Minister is hopefully bringing in some fresh air. But why are the figures, Madam, for 2014-15 also continuing to languish?

I would request the Minister that as far as these Grants-in-aid are concerned, which is a very important component of forestation, reforestation and afforestation, the Minister check with the State Governments as to why the utilised allocated amounts are less than 50 per cent. Kindly give your personal attention and continue with the work of completely dismantling ...*

---

[*] Expunged as ordered by the Chair.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, very important questions have been raised by our colleague and hon. Member Shri Pinaki Misra. Let me tell you two or three very important things. Everybody bothers about re-forestation because afforestation is our national programme. But unfortunately, for the last ten years, many things happened which did not help afforestation. What are they? First is that the money spent by the project proponent for compensatory afforestation and net present value, has not been utilized. Shri Pinaki Misra will wonder that more than Rs.35,000 crore of afforestation money is languishing in bank and has not been utilized. Therefore, we decided to bring in the CAMPA Bill. I hope that with this Bill, 90 per cent money of this Rs.38,000 crore will go to the States directly. At least, all parties should hear that and all parties should support that.

But people are playing partisan politics. What is more important is this. My erstwhile Minister has written a letter in which she has narrated how from … *(Not recorded)*, the influence was brought. She has written how the projects were stalled; how the projects were directed saying that the permission should not be given. That is how the regime continued for long. That is why, the project that you mentioned, Posco or maybe other projects, were stalled. The Environment Ministry was converted by the earlier regime as the 'roadblock Ministry'. We believe that both the environment protection and development are possible simultaneously. We are doing like that. Therefore, we are also looking into the letter issued by the erstwhile Minister ...* where she has said that how the Congress Party office bearers were bringing the pressure on her for not to sanction projects. We are going to look into this very seriously. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nobody's name should be given.

… (*Interruptions*)

SHRI PINAKI MISRA : Madam, I am very pleased to hear from the hon. Minister. The entire regime, the private taxation regime which was going on in the last Government has now been put to rest and has been exposed brutally. The

* Not recorded.

entire politics of environmental blackmail, environmental extortion, environmental profiteering and environmental private taxation has now come to an end fortunately. We are grateful to the people of this country that the people of this country have put an end to this corrupt regime.

I would ask my second supplementary. The CAMPA Fund has been languishing for the last ten years between 2004 and 2015. Will the hon. Minister kindly take a very very precipitate step to ensure that the CAMPA Funds are released at the earliest? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You ask the question.

… (*Interruptions*)

SHRI PINAKI MISRA: Odisha has been pleading with the Centre for ten years and the Centre turned deaf ears because there was an anti-Congress Government in Odisha. They were penalizing us. This is the way how in a federal structure, non-Congress Governments were penalized for ten years. Will the Minister kindly take precipitate steps now? … (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, this is really a matter of concern that a difference was made between the States -- States which were ruling party States were favoured and States like Gujarat and Odisha were discriminated against. What did they do? In Gujarat a power plant was to come up. It was a State Electricity Board Plant. The Environment Ministry gave permission to all the State Electricity Board plants in the last ten years. But in the case of Gujarat, they asked for Rs.100 crore guarantee. It was without any reason. It was without any basis. Still the Gujarat Government paid Rs.100 crore. But when I came to know about it, we saw the files and scrutinised all power projects. We found that nowhere Rs.100 crore guarantee was asked and we gave the guarantee back to Gujarat because it belongs to the people of Gujarat. Such kind of tyranny will never be tolerated. What we are doing is, we are putting processes in place. We have made online processes transparent. We have brought in more Expert Appraisal Committees. We are doing more valuable things. After due diligence and making

environmental conditions more stringent, we are ensuring that both environment protection and development go hand in hand. … (*Interruptions*)

श्री मानशंकर निनामा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि लाल चंदन ऊंची कीमत पर बिकने वाली लकड़ी है? …(व्यवधान) क्या इसके वृक्षारोपण के लिए कोई मुहिम या योजना चलाई जा रही है? …(व्यवधान) क्या लाल चन्दन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय के समन्वय से कोई आकलन समिति बनाई गयी है?…(व्यवधान) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं?…(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैडम, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चन्दन और रक्त चन्दन, दोनों अपने देश के पौध हैं, दोनों की फसल यहां होती है, दुनिया में नहीं आती थी। …(व्यवधान) आस्ट्रेलिया इसे यहां से लेकर गया। …(व्यवधान) आज दुर्भाग्य यह है कि पहले की सरकार की नीतियों के कारण, क्योंकि उसे सीआईटीईएस में डाल दिया था,…(व्यवधान) आज स्थिति यह है कि हमें आस्ट्रेलिया से चन्दन इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। …(व्यवधान) ऐसे-ऐसे कानून बनाए।…(व्यवधान) हमने इसकी समीक्षा की है।…(व्यवधान) अब वहां की सरकारों के साथ…(व्यवधान) क्योंकि यह कडप्पा, चित्तूर एवं अन्य तीन-चार जिलों में ही अच्छा रक्त चन्दन होता है। उस लाल चन्दन की खेती बढ़े, प्राइवेट में भी बढ़े और उसकी उपज हो।…(व्यवधान) आज इसकी स्मगलिंग होती है, यह चाइना और जापान में जाता है। …(व्यवधान) स्मगलिंग किया हुआ 12,000 टन रेड सैंडल्स पकड़ा गया है। …(व्यवधान) हम उसकी नीलामी कर रहे हैं।…(व्यवधान) एक नीलामी हो गयी है, बाकी भी होगी।…(व्यवधान) लेकिन हमारा माल स्मगलिंग करके बाहर जाएगा और देश को उसका लाभ नहीं होगा, यह अच्छा नहीं है।…(व्यवधान) इसलिए हमने तय किया है कि रेड सैन्डल्स और सैन्डल, दोनों का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा, राज्यों को फायदा होगा और अपने देश का फायदा होगा।…(व्यवधान) यही हमारी नीति है। …(व्यवधान)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Madam Speaker, at the outset I would like to congratulate the Minister of Environment for the fast pace at which he is working to develop both forests as well as the country.

Madam, our *Puranas* said *Vriksho Rakshati Rakshitah!* Today the forest cover is only 21 per cent while it should have been 33 per cent. In this regard I wish to state that our Government of recently formed Telangana State has taken an ambitious plan to increase the forest cover from 23 per cent to 33 per cent. We have an ambitious plan to plant 230 crore plants. In the answer given by the

Minister there is no mention of Telangana or how much is the deficiency. I want the Minister to correct it.

Secondly, is the Minister going to give special incentives or disincentives to States which take ambitious plans to increase their forest cover? I ask this because the forest cover is not confined to a State only but it will have effect over the entire country and the entire world also. The situation today is that there are floods in the North and there is serious drought in the South. I want a reply from the hon. Minister on this.

12.00 hrs.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I was in Telangana two weeks ago and their Chief Minister has launched a very ambitious programme *Haritha Haram*. … (*Interruptions*) Last week I was in Chhattisgarh. I have participated in three programmes and I am very happy. Every State is coming forward and doing a very ambitious programme of tree plantation and increasing the forest cover. … (*Interruptions*) It has to become people's movement and that is what is happening on ground. Many States, right from Karnataka to Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan are joining and making it a national programme. … (*Interruptions*) Our Prime Minister Narendra Modi has given a call for Green India, Clean India 'स्वच्छ भारत - हरित भारत' उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास करने का लक्ष्य हमने रखा है।

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Arjun Jaitley, I beg to lay on the Table a copy of the Medium term Expenditure Framework Statement for 2015-2016 (Hindi and English versions) under section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 3031/16/15]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचानाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सा.का.नि. 240 (अ)/आव.व./गन्ना जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 2013-2014 के कारखाना वार नियत खुदरा मूल्य के नियतन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3032/16/15]

(2) अधिसूचना संख्या 1 (5)/2015-विशेष मूल्य सूचकांक जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वर्ष 2014-2015 के चालू गन्ना सीजन के लिए किसानों को बकाया राशि की संदायगी के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3033/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, श्री राधा मोहन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3034/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2012- 2013.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2012-2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3035/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the years 2010-2011 to 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the years 2010-2011 to 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 3036/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2013-2014, 3 alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2013-2014.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 3037/16/15]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 38 of the Biological Act, 2002:-

(i) S.O. 1162(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015, notifying the species of animals, mentioned therein, which are the verge of extinction for the Administration of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.

(ii) S.O. 1633(E) published in Gazette of India dated 18th June, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O.2708(E) dated 17th November, 2008.

(iii) S.O. 940(E) published in Gazette of India dated 7th April, 2015, regarding keeping in abeyance the Notification No. S.O.1519(E) dated 23rd August, 2007 till 31st March, 2016 or until issue of further notification by the Ministry of Health and Family Welfare regarding regulation of GM processed foods by the Food Safety and Standards Authority, whichever is earlier.

[Placed in Library, See No. LT 3038/16/15]

(7) A copy of the Environment Relief Fund Scheme, 2008 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.1878(E) in Gazette of India

dated 13th July, 2015 under sub-section (3) of Section 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991.

[Placed in Library, See No. LT 3039/16/15]

(8) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) issued under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974:-

(i) S.O.814(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2015 reconstituting the Central pollution Control Board and nominating the persons, mentioned therein, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(ii) S.O. 1250(E) published in Gazette of India dated 11th May, 2015 making certain amendments in the Notification No. S.O. 814(E) dated 23rd March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3040/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, for the year 2011-2012. (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3041/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) का.आ. 820(अ) जो 24 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, दिल्ली की नियुक्ति ''न्यायाधीश'' के रूप में किए जाने के बारे में है।

(2) का.आ. 1389(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(3) का.आ. 1390(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(4) का.आ. 1391(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(5) का.आ. 1565(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अर्णाकुलम में अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(6) का.आ. 1566(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए चंडीगढ़ में वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(7) का.आ. 1604(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए प्रधान न्यायिक आयुक्त, राँची की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(8) का.आ. 1833(अ) जो 7 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(9) का.आ. 1862(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश, सिटी व्यवहार न्यायालय और अपर सत्र न्यायाधीश,

वृहण मुंबई की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(10) का.आ. 1863(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3042/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3043/16/15]

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1988-1989 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 1988-1989 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3044/16/15]

(ग) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3045/16/15]

(घ) (एक) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3046/16/15]

(ङ.) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3047/16/15]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पाँच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3047A/16/15]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3048/16/15]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3049/16/15]

(5) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3050/16/15]

(7) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3051/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Andrew Yule and Company Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3052/16/15]

(ii) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Pumps and Compressors Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3053/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3054/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3055/16/15]

(3) (एक) श्री इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3056/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 25 of 2015)- Functioning of Internal Audit in Income Tax Department, Department of Revenue, Direct Taxes, for the year ended March, 2015 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 3057/16/15]

12.02 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 10th August, 2015 adopted the following motion in regard to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha on the 18th December, 2014 and laid on the Table of the Rajya Sabha on the 19th December, 2014:-
>
> **MOTION**
>
> "That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, which was passed by the Lok Sabha on the 18th December, 2014 and laid on the Table of the Rajya Sabha on the 19th December 2014."
>
> 2. Thereafter, the Bill was withdrawn.'

12.03 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
21st Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to lay on the Table the 21st Report of the Business Advisory Committee.

12.04 hrs.

COMMITTEE ON PETITIONS
7th and 8th Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई) में मजदूरी संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वश्री जावेद पंडित और हरीश से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 7वां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल), धनबाद में अनुकंपा के आधार पर नियोजन के संबंध में श्री सौरभ कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

12.05 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
4th Report

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Madam, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2014-2015). … (*Interruptions*)

12.06 hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
13th to 16th Reports

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(दो) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(तीन) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(चार) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 'मेगा फूड पार्क्स' विषय संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

…(व्यवधान)

<u>12.06 ½ hrs.</u>

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
7th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं 'ऊर्जा संरक्षण' के बार में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ...(व्यवधान)

<u>12.07 hrs.</u>

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS
(i) 6th Report

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam, I beg to to present the Sixth Report (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the First Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2014-15) on 'Demands for Grant (2014-15)' of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. … (*Interruptions*)

(ii) Statements

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) showing final action taken by the Government on the recommendations contained in Reports of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas:-

(1) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Chapter-I & V of the Fifteenth Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (15th Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Eleventh Report of the Committee (15th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2012-13) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas'.

(2) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Chapter-I & V of the Seventeenth Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (15th Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Twelfth Report of the Committee (15th Lok Sabha) on 'Safety of Oil Installations'.

(3) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Chapter-I & V of the Twenty-First Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (15th Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Sixteenth Report of the Committee (15th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2013-14) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas'.

(4) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Chapter-I & V of the Twenty-Second Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (15th Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Eighteenth Report of the Committee (15th Lok Sabha) on 'Long Term Purchase Policy and Strategic Storage of Crude Oil'.

(5) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Chapter-I & V of the Second Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (16th Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Twenty-Third Report of the Committee (15th Lok Sabha) on 'Functioning of Oil Industry Development Board'. … (*Interruptions*)

12.07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
7th Report

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Madam, I beg to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in their 3rd Report on 'Demands for Grants – 2014-15 of the Ministry of Railways'. … (*Interruptions*)

12.07 ¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
87th Report

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Madam, I beg to lay on the Table the 87th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the Functioning of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). … (*Interruptions*)

12.08 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 176th Report of the Standing Committee on Home Affairs on the 'Functioning of Delhi Police', pertaining to the Ministry of Home Affairs. *

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस का कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

12.08 ¼ hrs.

(i) (b)Status of implementation of the recommendations contained in the 184th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 179th Report of the Committee on 'Rehabilitation of J&K migrants', pertaining to the Ministry of Home Affairs.*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। ...(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3058/16/15, 3059/16/15 and 3060/16/15 respectively.

12.08 ½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं। ...(व्यवधान)

12.08 ¾ hrs.

MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) SECOND BILL, 2015 --EXTENSION OF TIME

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

> कि "यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र (अर्थात् शीतकालीन सत्र, 2015) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक समय बढ़ाया जाए।"

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 upto last day of the first week of the Next Session (i.e. Winter Session, 2015)."

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। Shri Jai Prakash Narayan Yadav and Shri Dharmendra Yadav, will you please go back to your seats?

... (*Interruptions*)

12.09 hrs

At this stage, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and Shri Dharmendra Yadav went back to their seats.

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav, please take your seat. I have called Shri Mulayam Singh Yadav.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं कैसे बोलूं, आप पहले यह शोर बंद कराइये।...(व्यवधान)

महोदया, देश में जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए...(व्यवधान) क्योंकि जातीय आधार पर ही आरक्षण हुआ है, लेकिन वह सभी के लिए अपर्याप्त है। पिछड़ों की जो जनसंख्या है...(व्यवधान) वह 47 परसैन्ट है और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है, वह 27 परसैन्ट मिला है...(व्यवधान) इसलिए आप सरकार को निर्देश दीजिए कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए और उन्हें जातीय आधार पर ही आरक्षण दिया जाए, तभी लोगों को न्याय मिलेगा।...(व्यवधान)

आप यह देखिये कि उत्तर प्रदेश में एक भी पिछड़ा, यादव सैक्रेटरी नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए हमारी मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए और उसी के अनुसार आरक्षण दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, हमारी मांग है कि जातीय जनगणना प्रकाशित की जाए ...(व्यवधान) देश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि जातीय जनगणना लागू की जाए।...(व्यवधान) इस आंकड़े से सरकार की चालाकी और नीयत स्पष्ट रूप से दीखती है।...(व्यवधान) सरकार को बताना चाहिए कि खेती-बाड़ी करने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, भूमिहीन मजदूर और एक कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले कौन सी जाति के लोग हैं।...(व्यवधान) आयकर देने वालों की जातिगत सामाजिक पृष्ठभूमि और उनकी आय के साधन को सार्वजनिक किया जाए...(व्यवधान) आज पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है...(व्यवधान) इसलिए जातीय जनगणना को प्रकाशित किया जाए। गांव का हर तीसरा परिवार भूमिहीन है...(व्यवधान) 75 प्रतिशत घरों की मासिक आमदनी पांच हजार रुपये से कम है...(व्यवधान) पांच परसैन्ट से ज्यादा परिवार मजदूरी करते हैं...(व्यवधान) देश में दस हजार रुपये से अधिक मासिक आमदनी वाले मात्र आठ फीसदी ग्रामीण परिवार हैं। ...(व्यवधान) इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना लागू की जाए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह यादव जी ने इस बारे में प्रस्ताव किया है। लेकिन जानबूझकर पिछड़ों के साथ देश में अन्याय हो रहा है...(व्यवधान) उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार इस बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर बिहार बंद किया गया था।...(व्यवधान) अब इसके लिए महाभारत होगा...(व्यवधान) जंग होगा, अब हम लोग रुकेंगे नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि जातीय जनगणना को लागू किया जाए...(व्यवधान) आज इन लोगों की स्थिति बद से बदतर है। 23 फीसदी से ज्यादा घरों में 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई शिक्षित व्यस्क नहीं है। इसलिए हम पिछड़ों और गरीबों के साथ अन्याय और धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जातीय जनगणना का जो सवाल उठाया है, आदरणीय लालू जी और श्री नीतीश जी और अन्य पार्टियों ने भी जातीय जनगणना प्रकाशित करने का सवाल उठाया है। इसे संदूक में बंद क्यों किया गया है? यह हमारा संवैधानिक हक और अधिकार है। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के लोग, जिनका ... * ये इस सदन के चार सौ से अधिक सदस्यों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। ...(व्यवधान) लगातार ये व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जो चार सौ से अधिक की संख्या में सदस्य हैं, उनकी बातों को देश की जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे मांग करता हूँ कि ... *

HON. SPEAKER: It will not go on record.

… (*Interruptions*)… *

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, ये लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात करें।

...(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य : माननीय अध्यक्ष जी, हमें व्यवधान हो रहा है। ये बाधा डाल रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It will not go on record.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात करें।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री केशव प्रसाद मौर्य : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, मैं उनके संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ...(व्यवधान) लेकिन पंचायत के चुनाव अभी हुए नहीं हैं। ...(व्यवधान) बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। ...(व्यवधान) मुझे सूचना मिल रही है। ...(व्यवधान) चाहे मेरा लोक सभा क्षेत्र और जनपद इलाहबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले हों, बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में जो असली नाम हैं, उनको काटा जा रहा है और फर्जी नाम दर्ज कराए जा रहे हैं। ...(व्यवधान) मतदान के समय बड़े पैमाने पर बूथ कब्जा करने की कोशिश की जाने वाली है। ...(व्यवधान) जनता का विश्वास, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी खो चुकी है। ...(व्यवधान) जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं मांग करता हूँ कि ऐसे सरकारी अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ी करने वाले हैं, उनको उस स्थान से हटाया जाए। ...(व्यवधान) परिसीमन में आरक्षण में जो भेदभाव किया जा रहा है, वह भेदभाव से मुक्त आरक्षण होना चाहिए। ...(व्यवधान) किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती की जाए और इन कांग्रेसियों के विरूद्ध जिन्होंने सदन का समय बर्बाद किया, इस देश की जनता का समय बर्बाद किया, इनको दंडित करने की मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री पी.पी.चौधरी को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Hon. Madam Speaker, I would like to thank you and also our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma for this opportunity. … (*Interruptions*)

In Tamil Nadu in my Sivaganga constituency Bharat Heavy Electrical Limited Plant (Power Plant Piping Unit) was set up in Thirumayam village with an investment of Rs. 350 crore with over 700 employees and an output target of 20,000 Metric Tonnes of critical piping components involving Rs. 500 crore turnover. It started its operation in the year 2012. It is one of the few major industries functioning in Sivaganga constituency. … (*Interruptions*)

Sivaganga is one of the most backward districts in India. Agriculture and allied activities are limited. In this background it was highly expected that the unit would provide more job opportunities to the local people, particularly young

graduates. But assurance given by BHEL management about job opportunities at the time when land was purchased from people but till today the local people have not got any employment from BHEL. … (*Interruptions*)

It was also expected that BHEL, Thirumayam unit would pave the way for many small scale manufacturing industries to sprout for supplying the spare parts. That too did not happen. … (*Interruptions*)

Hence, I would like to urge upon the Union Government to take suitable action for the local people so that they get job opportunities from the BHEL Thirumayam unit. … (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखण्ड के उस पेयजल संकट से जूझते हुए क्षेत्र के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। …(व्यवधान) देश जानता है कि अभी बुंदेलखण्ड में वर्षा कम हो रही है। …(व्यवधान) टीकमगढ़, छत्तरपुर, दमोह आदि इन तमाम जगहों में वर्षा कम है। …(व्यवधान) लगातार सौ वर्षों का रिकार्ड है कि बुंदेलखण्ड में वर्षा कम होती है। …(व्यवधान) लेकिन प्रकृति ने वहां पर अर्जुनकुंड, भीमकुंड और पातालगंगा नाम के स्त्रोत दिए हैं। …(व्यवधान) वहाँ परमारकालीन तालाबों की बड़ी व्यवस्था है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वर्षा कम होने के कारण पेयजल का संकट आने वाला है।…(व्यवधान) इसलिए भीमकुंड, अर्जुनकुंड के जलस्रोत का मनुष्यों के पीने के लिए तथा खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जल्दी कोई कार्य योजना बनाएं।…(व्यवधान)

दूसरा, वह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में आते हैं, अगर पर्यटन विभाग उनको खजुराहो के सर्किल के साथ शामिल कर ले तो निश्चित रूप से लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे।…(व्यवधान) महोदया, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, people have given us massive mandate. Twenty Members cannot dictate to the entire House. What is this happening? … (*Interruptions*) This is most

objectionable and indecent conduct. You name them, Madam. Let action be taken. … (*Interruptions*) यह क्या है?...(व्यवधान) हर एक दिन यह क्या चल रहा है?...(व्यवधान) हद होती है।...(व्यवधान) There is a limit for patience. … (*Interruptions*) They are attacking the Speaker and going to the Speaker's house, making allegations, using abusive language and putting the placards on the face of the Speaker. What is all this? What is the message that they are sending to the country? I am not able to understand. They are forcing a situation … (*Interruptions*) यह नारा देने से क्या होगा?...(व्यवधान) पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रही है।...(व्यवधान) बीस लोगों के नारा देने से क्या होगा?...(व्यवधान) लोगों ने अपना मैनडेट दे दिया है।...(व्यवधान) आपको बुरी तरह से हराया। ...(व्यवधान) People have rejected you. You could not even get Opposition status.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पूरा हिन्दुस्तान उनको देख रहा है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The whole of India is seeing you. I have asked them to show you on the television. Show all of them on the TV. I am requesting the Lok Sabha TV to show all of them on the television. This is not the way to behave. All of you should come on the TV. But I will not adjourn the House. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Thupstan Chheweang may speak now.

… (*Interruptions*)

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): I would like to draw the attention of the Government to the grave situation being faced by the people in the Ladakh region of Jammu and Kashmir State due to incessant rains and instances of cloud bursts persisting over a period of 20 days which has completely paralysed normal life in the region. …(*Interruptions*) People of Leh and Kargil are living under threat of death and destruction due to the fury of nature unleashed on them and they are forced to spend their nights out of their houses in places they perceive to be safe. … (*Interruptions*) With memories of death and destruction caused to

them in the floods of the year 2010 still fresh in their minds, people are not taking any chances which has perhaps resulted in minimum loss of human lives with only three confirmed deaths. … (*Interruptions*) However, the magnitude of damages to movable and immovable properties and to essential services like irrigation canals, drinking water supplies, roads and bridges, etc. are far greater than what was caused in 2010. … (*Interruptions*) There is an urgent need to carry out relief and restoration works for which the Government of India is required to sanction relief package.

I would request the Central Government to immediately depute a team of officials to assess the situation on the ground and sanction funds pending final report to carry out essential relief and restoration works. … (*Interruptions*) The flow of Indus River has been obstructed at several places due to major landslides resulting in accumulation of water which could pose danger, especially the blockage at Baima Village inhabited by the tribals of pure Aryan race, which could prove disastrous unless immediate action is taken to solve it. . … (*Interruptions*)

A team of NDMA may kindly be deputed to assess the situation on the site to prevent breach as happened in the case of Phuktal. … (*Interruptions*) I would request the Government of India to take the matter with all seriousness that it deserves. वहाँ लद्दाख रीजन में बहुत ही बुरी हालत है। मैं कांग्रेस के साथियों से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इतनी मुसीबत में हैं, उनकी बातों को कम से कम यहाँ पर हमें उठाने का मौका दें। मैं दो हफ्ते से वहाँ फ्लड में जूझ रहा हूँ। वहाँ के लोग मर रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। मैं भारत सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि लद्दाख की हालत को देखते हुए वहाँ सैन्ट्रल टीम भेजी जाए, वहाँ पर रिलीफ अमाउंट सैंक्शन किया जाए। 2010 का जो फ्लड आया जिससे डैमेज हुआ, उससे वहाँ की हालत बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इमीडियेटली वहाँ रिलीफ पैकेज सैंक्शन करे और एक सैन्ट्रल टीम वहाँ पर भेजे ताकि इस तकलीफ में वहाँ के लोगों की सहायता हो सके। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज़रूर ज़रूर, यह सब टीवी पर दिखाएँ। लोक सभा टीवी वाले ज़रूर यह सब टीवी पर दिखाएँ। लोगों को देखने दो कि किस प्रकार का व्यवहार सांसदों का है। चेयर को टीवी पर दिखने का कोई शौक नहीं है। आप ज़रूर चेयर को ढकिए और लोगों को देखने दीजिए। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को देखने दीजिए। मेरा रिक्वैस्ट है कि Lok Sabha TV should show all these things. This is not the way. 40 लोग मिलकर 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं। यह प्रजातंत्र की हत्या है। यह प्रजातंत्र नहीं है। ज़रूर आपको टीवी पर दिखना चाहिए। टीवी पर ज़रूर दिखें और लोगों को दिखाइए। ज़रूर पूरे हिन्दुस्तान को दिखाएँगे। ज़रूर दिखाइए। पूरा हिन्दुस्तान देखे कि कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। 440 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन केवल 40-50 लोग पूरे सदन को रोक रहे हैं।

Let them see. Let all the people see. That is really very good. That is very nice.

*SHRI R.PARTHIPAN (THENI): Hon'ble Madam Speaker. I thank Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma who made a Member of Parliament. I also thank the people of my Theni parliamentary constituency. Theni Parliamentary Constituency, surrounded by mountains on all the four sides, is in the foothills of Western Ghats. Tea, Coffee, Pepper, Cardamom, Clove and other crops are grown in this area. Fruits crops Like Mango, Jack fruit, Orange, Apple and Pears fruit are also grown in large scale in this area. During the 18th century, the then British Government created settlements with mostly labourers for engaging in cultivation in these mountainous areas. Now, mostly these areas are in the control of private entities. People living in these areas, especially those belonging to Scheduled Castes and Tribes are deprived of basic amenities. Even though the Tamil Nadu Government under the able leadership of Hon'ble Amma is trying to provide basic facilities to the people belonging to Scheduled Castes and Tribes of this area, the Department of Forests puts unnecessary hurdles during implementation of projects. I therefore urge upon the Union Government to provide exception for the welfare activities undertaken by Tamil Nadu Government in the interest of Scheduled Castes and Tribes people of this area. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर से मुम्बई के लिए केवल एक ही जेट एयरवेज़ की फ्लाइट है। कई बार टैक्नीकल प्रोब्लम्स की वजह से यह फ्लाइट भी बन्द कर दी जाती है। जबकि यहां पर यात्रियों की हमेशा वेटिंग बनी रहती है, क्योंकि, भावनगर में एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। पालिताना जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है और कई बड़े उद्योग यहां पर स्थापित हैं, जिससे व्यापारी वर्ग के साथ-साथ आसपास के जिलों बोटाद व अमरेली के नागरिकों को भी मुम्बई या अन्य जगह जाने के लिए वाया भावनगर जाना पड़ता है।

यहां पर केवल एक ही जेट एयरवेज़ की फ्लाइट होने से कम्पीटीशन के अभाव में बहुत महंगी टिकटें भी मिलती हैं, जिससे यात्रियों का शोषण भी होता है। जेट एयरवेज़ कई बार छोटा प्लेन लगा देती है। अब उन्होंने इस फ्लाइट का समय बदलकर भावनगर से 12.45 बजे कर दिया है। इस समयानुसार कैसे कोई अपना कार्य करके वापस अपने स्थान पर आ सकता है। इसके प्रस्थान का समय सुबह सात से आठ बजे के बीच होना चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर से अनुरोध है कि भावनगर से मुम्बई के लिए एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह एवं सायं अप-डाउन चलाने और जेट एयरवेज़ के परिचालन का समय परिवर्तित करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

*SHRI B.S.YEDIYURAPPA (SHIVAMOGGA) : Hon'ble Speaker, Madam, This year Karnataka has seen the worst drought in the last 25 years. People of about 130 taluks were badly affected by drought. Due to inadequate rainfall sufficient water is not there in Krishna basin. The Alamatti dam which has the storage capacity of 123 TMC had 102 TMC of water last year. Now only 58 TMC water is there in this dam. Last year 297 TMC water was there in all the dams in the state. But now they have 201TMC of water.

The reservoirs in the Cauvery basin such as Hemavati, Krishna Raja Sagara (KRS), Kabini and Harangi have the storage capacity of 115 TMC. Last year water storage in these reservoirs was 93 TMC. But now they have only 84 TMC of water. Last year during the same period Hemavati, Harangi, Kabini reservoirs were almost full and 43 TMC of water was released to Tamil Nadu. This year even through there is inadequate water in all these reservoirs 39 TMC of water was released to Tamil Nadu.

For the year 2015-16 targeted areas for cultivation is 111.37 lakh hectares for Kharif, Rabi and summer season in which 31.71 lakh hectares of irrigated land and 71.66 lakh hectares of rain fed land. However, till date the sowing operation took place only in 9.07 lakh hectares of irrigated land and 30.05 lakh hectares of rain fed land. In the past one month due to scanty rainfall 80% of the crops in the dry land area were destroyed and farmers were suffering a lot as they had spent huge money on seeds and fertilizers.

In many parts of the state there is no drinking water and fodder available for cattles.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

During my tenure as Chief Minister of Karnataka I took steps to waive off farm loan. I urge the State Government to take similar steps and waive off farm loan disbursed by cooperative banks and also waive off the interest on farm loan disbursed by nationalized banks.

Farmers are in hapless condition as the horticulture crops including Grapes, Coconut, Pomagranite, coffee were destroyed due to drought. Moreover dry land farmers too are not being benefited from the crop insurance schemes. The farmers are living in a pathetic condition.

Therefore, I urge upon the Government to give Rs.20,000 per hectare to each farmer to meet the expenditure spent on seeds, fertilizers and also give better compensation to the growers of Coffee, Grapes, Coconut and Pomogranite for crop loss. There is also need for immediate release of arrears due to the sugarcane farmers.

Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley Ji has announced a special package to rescue the Grapes and Pomogramite growers. Under this said package the Union Government would give 75% and the State Government was requested to contribute 25% of the total compensation. However, the Government of Karnataka is not keen to take any step in this regard. It is an injustice meted out to the people of Karnataka by the Congress Government of the state.

All these factors lead to the rise farmers suicide. There are 250 cases of suicide in the last 3-4 months. It is unfortunate that when I am raising such burning issue of severe drought on the floor of the House, my colleagues in the Congress benches are staging protest, and dharans without sensing the gravity of the situation. This attitude of the members shows their irresponsible nature and I condemn their behaviour and also their lack of concern for the burning and sensitive issues. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री बी.एस. येदियुरप्पा के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, वह आज लोकतांत्रिक अत्याचार पर उतारू होकर आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है।...(व्यवधान) इसकी मैं निंदा करता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, सांसद क्षेत्र विकास निधि को संचालित करने के लिए केन्द्र के दिशा-निर्देश होने के कारण होता यह है कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर जन समस्याएं अलग-अलग हैं।...(व्यवधान) उत्तराखण्ड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में स्थानीय स्तर पर सांसद अपनी विकास निधि से त्वरित विकास कार्यों हेतु किस मद में धन आवंटित करे, इसकी परिभाषा करने के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक ही गाइडलाइन पूरे देश के लिए लागू है।...(व्यवधान)

महोदया, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि आप केन्द्र सरकार को निर्देश दे कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए, जो स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, वहां के स्थानीय सांसदों के अनुरूप हो।...(व्यवधान) स्थानीय सांसद अगर चाहें कि इसमें तत्काल धन आवंटित करके वे वहां की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर स्थानीय स्तर पर उसके आवंटन की व्यवस्था कराने के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजन विचारे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका संबंध मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से है।...(व्यवधान) ठाणे स्टेशन का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहां से देश की पहली ट्रेन चली थी।...(व्यवधान) ठाणे शहर की आबादी लगभग बीस लाख है एवं ठाणे रेलवे स्टेशन की गिनती देश के सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशनों में की जाती है।...(व्यवधान) इस स्टेशन से रोजाना साढ़े छः लाख यात्री आना-जाना करते हैं एवं ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।...(व्यवधान) ठाणे एवं मुलुंड स्टेशनों के बीच नया विस्तारित रेलवे स्टेशन बन जाने से ठाणे स्टेशन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।..(व्यवधान) माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ठाणे आए थे, तब उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति भी दी थी।...(व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार के अधीन 18 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन में मेंटल अस्पताल है।...(व्यवधान) नए विस्तारित

स्टेशन को बनाने के लिए यदि राज्य सरकार बाकी बची जमीन दे तो इससे लाखों यात्रों को सहूलियत होगी।...(व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके मेंटल अस्पताल के पास जो अतिरिक्त खाली जमीन पड़ी है, उस पर ठाणे एवं मुलुंड स्टेशन के बीच एक नया विस्तारित रेलवे स्टेशन बनाए जाने का निर्देश दें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ को श्री राजन विचारे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Madam Speaker, I would like to draw the kind attention of this House, through you, regarding the dire need to take proper steps for providing regular uninterrupted internet connectivity in my parliamentary constituency Zaheerabad in Telangana.… (*Interruptions*) On the one hand, the Government of India is making efforts for digitization of rural India and on the other hand, due to negligence of BSNL officers there is no proper maintenance of towers.… (*Interruptions*) Now-a-days, Mandal Revenue Offices, Panchayat Offices, all other offices and schools are dependent on internet connectivity.… (*Interruptions*) But they are getting internet connectivity hardly for two to three hours a day or sometimes the connection is so poor that the people do not get access to internet for an entire day or two. … (*Interruptions*) Rural India is facing hardship on this front due to very flimsy reasons such as non-availability of battery and inverter. … (*Interruptions*)

Hence, I request the hon. Minister of Communications and Information Technology, through you, to take necessary steps to provide regular uninterrupted internet connectivity in our area for which the people of my constituency will be very grateful. … (*Interruptions*)

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Madam Speaker, with the blessings of our beloved leader *Puratchi Thalaivi Amma*, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, I would like to raise an important issue pertaining to my parliamentary

constituency Coimbatore in Tamil Nadu. … (*Interruptions*) Coimbatore District produces the largest number of pumps and spare parts in the small scale industries sector. I would like to urge upon the Government the urgent need to relax some conditions imposed by the previous Government for Central Excise Duty exemption.

Tariff No. 8413 refers to water lifting power driven pumps which are very much required in the agricultural sector.… (*Interruptions*) As a country based on agro-economy, we need to attend to the needs of the agriculturists and also the small industries who cater to the needs of small and marginal farmers.… (*Interruptions*)

Based on the Notification No. 10 of 2006, the SSI exemption will be available only when BIS standards are met. This BIS licence fee itself is Rs. 4 lakh per annum.… (*Interruptions*) Whereas most of the SSI units manufacturing pumps and spares are not having an annual turnover of Rs. 50 lakh and the margins for such micro-industry owners are not more than Rs. 2 to Rs. 3 lakh per annum.… (*Interruptions*) Considering this ground reality, our hon. Puratchi Thalaivi Amma gave a lot of subsidies especially in Coimbatore.… (*Interruptions*)

The Centre may kindly withdraw the Notification 10 of 2006. … (*Interruptions*) So, I urge upon the Union Government to exempt and help the Micro Industries Pump Manufacturers from Central Excise Duty.… (*Interruptions*) Thank you, Madam.… (*Interruptions*)

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Thank you, Madam Speaker. ECR Highway Road that connects Chennai and Puducherry is 160 kilometre long, but the major accidents that occur here daily is a matter of concern.… (*Interruptions*)

Huge number of buses, private tankers, lorries and two-wheelers ply here. Madam, three kilometers away from Kalpakkam near Palar Dam at Vayalaur, many accidents take place daily. … (*Interruptions*) As there is a Government

school here, many children who cross the road, face threat for their lives. Being a Highway road, head injuries take place.… (*Interruptions*)

Various reports state that in India, every minute, a road accident occurs and every four minutes, death cases occur.… (*Interruptions*) The shocking fact is that among the victims, one-third are of 15 to 25 years.… (*Interruptions*)

Since there is no hospital nearby, the people who meet with accident die as they have to be taken for treatment to the Government Hospital which is 60 kilometre away.… (*Interruptions*)

A full-fledged multi specialty hospital here is the need of the hour. This will help to save huge number of people who daily meet with major accidents here.… (*Interruptions*) The Prime Minister has also recently spoken about the seriousness of road accidents and said that the Central Government is soon to bring a Bill on Road Transport and Safety.… (*Interruptions*)

Hence, I urge upon the Central Government to kindly look into this major issue and sanction a multi specialty hospital as it saves human lives. Thank you, Madam.… (*Interruptions*)

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति में 42 जातियां अधिसूचित हैं। इनमें से लगभग 20 से ज्यादा जातियों में मात्रा, वर्तनी, उच्चारण संबंधी त्रुटि होने के कारण उक्त जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तथा वे पात्रता रखने के उपरान्त भी अपने संवैधानिक हक से वंचित हो जाते हैं। ...(व्यवधान) यह एक विडंबना है कि जो व्यक्ति जन्म से आदिवासी है, उसे मात्रा में त्रुटि अथवा पूर्व में राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई त्रुटि के कारण जाति संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पहा है। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत लंबे समय से राज्य में निवासरत पठारी, पारधी, परहिया, सौंरा, सवरा, सकरा, भुईंया, भुया, भयया तथा भिंया, बिंझिया, धनुहार, धनुवार, रौतिया, सबरिया, खेरवार, खरवार, किसान, नगेसिया एवं प्रधान, परगनिहा और अमनित को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ...(व्यवधान) शीघ्र ही इस पर कार्रवाई कर इन जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल कर राज्य सरकार को

अवगत कराया जाए, जिससे इस जाति के लोगों को उनका संवैधानिक हक मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इन बीस जातियों के लोगों का न प्रमाण पत्र बन पा रहा है और न उनको संवैधानिक हक मिल पा रहा है, जिसके चलते इस वर्ग के लोग आक्रोशित हैं। राज्य सरकार के माध्यम से और जनजाति आयोग के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर तत्काल निराकरण करते हुए इन वर्ग के लोगों को संवैधानिक हक दिया जाए। ...(व्यवधान) इससे आय, जाति, निवास के साथ-साथ इनके बच्चों को पढ़ाई और अन्य संवैधानिक अधिकारों का हक मिलेगा। ...(व्यवधान)

महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है।...(व्यवधान) यहां कई पंचायत में एक हाई स्कूल भी नहीं है।...(व्यवधान) आर.एम.एस.ए. नियम के अनुसार गवर्नमेंट हाईस्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है।...(व्यवधान) लेकिन, इससे मेरे क्षेत्र के बहुत-सारे हाई स्कूल्स वंचित हो रहे हैं।...(व्यवधान) अदरवाइज, सारे स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड हैं।...(व्यवधान) उनको तनख्वाह सरकार से मिलती है लेकिन वे पूर्ण रूप से सरकारी हाई स्कूल्स नहीं हैं।...(व्यवधान)

आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि आर.एम.एस.ए. के माध्यम से गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स को भी, जो पार्शियली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको भी अनुदान देने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री बलभद्र माझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ...* इस मानसून सत्र में बोलने का पहली बार मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।..

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27 फरवरी, 2012 को एक आदेश पारित किया और राज्य सरकारों को इस बात का निर्देश दिया कि वर्ष 2010 की वन और पर्यावरण मंत्रालय की जो गाइडलाइन बनी है ..(व्यवधान) जो ड्राफ्ट रूल्स माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग मिनिस्ट्री ने बनाये हैं ..(व्यवधान) अप्रदान खनिजों के लिए, माइनर मिनरल्स के लिए उनकी अनुपालना जब तक नहीं

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हो ..(व्यवधान) तब तक खानों का नवीनीकरण नहीं किया जाये। ..(व्यवधान) राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश की मंशा के अनुरूप अपने नियमों में संशोधन किया ..(व्यवधान) जिला स्तरीय पर्यावरण समितियां बनायी ..(व्यवधान) मेरे प्रदेश में सैंड स्टोन्स की छोटी-छोटी खाने हैं ..(व्यवधान) उन खानों के कलस्टर बनायें ..(व्यवधान) उन खानों के डेवेलपमेंट प्लान बनाकर, उनका अप्रूवल करने के बाद में उनका रिन्यूवल किया गया। ..(व्यवधान) भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में एक नयी अधिसूचना जारी करके निर्देश दिया कि उन छोटी खानों को, नयी खानों को लाइसैंस नहीं दिया जाये। ..(व्यवधान) जब तक वह पर्यावरण की नियमों की पूर्ति नहीं कर लेती। ..(व्यवधान) पांच हेक्टेयर से कम की माइंस के लिए भी एनवायरमेंट क्लीयरैंस लेने की बाध्यता कर दी। ..(व्यवधान) छोटे-छोटे खान मालिकों, जिनके खानों की साइज 30 मीटर से 50 मीटर के बीच हैं ..(व्यवधान) उनके लिए इस तरह के कठोर नियम बना दिये गये। ..(व्यवधान) जबकि ऐसे नियम बनाने की मंशा जो है, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसकी बिल्कुल नहीं थी। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान सरकार ने मॉडल गाइडलाइन्स, 2010 के अनुरूप कार्रवाई कर दी थी ..(व्यवधान) उसके बाद भी एम.ओ.ई.एफ. ने, भारत सरकार के वन मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करके नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी। ..(व्यवधान) इसी क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया ..(व्यवधान) उसने आदेश पारित करके सभी खानों के लिए चाहे वह पांच हेक्टेयर से छोटी हैं या बड़ी हैं ..(व्यवधान) सभी खानों के लिए ऐसी बाध्यता उत्पन्न कर दी। ..(व्यवधान) छोटे-छोटे खान मालिक इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ..(व्यवधान) उसके कारण पूरे क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है। ..(व्यवधान) हजारों-लाखों मजदूर और खान से जुड़े हुए लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ..(व्यवधान) उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है ..(व्यवधान) उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा कर अपील दायर करे। ..(व्यवधान) ऐसे छोटे-छोटे खान मालिकों को और उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों जिनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है उनको राहत प्रदान कराने की दिशा में काम करे।_ ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री दुष्यंत सिंह, श्री पी.पी.चौधरी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Madam Speaker, Integral Coach Factory (ICF), Chennai, the first of its kind set up in 1955, is producing various types of coaches in 500 different designs for Indian Railways and also for

export. … (*Interruptions*) It is befitting that ICF, producing 2,000 coaches per year, has rolled out the 50,000th coach in its Diamond Jubilee Year. In fiscal 2014-15, the production was 1,704 coaches, against the target of 1,696 coaches, being the highest figure in all coach factories in the country, and the target for fiscal 2015-16 is 1,950. … (*Interruptions*) Recently, the hon. Railway Minister had unveiled the LHB (Linke Hofmann Busch) Unit coming under the Modernization and Expansion Scheme with a target of 285 coaches in 2015-16 and 600 coaches in 2016-17. No doubt, ICF's better performance is due only to better staff motivation and their dedication. … (*Interruptions*)

Having said all these rosy things, I must bring to the notice of the House the sad plight of the staff. Drastic reduction in staff strength, no new recruitment for LHB Unit, redeployment of ICF staff in LHB Unit, etc., have created unrest among the workforce. … (*Interruptions*) Also it is a matter of great concern that the Course Completed Act Apprentices (CCAA) of ICF for the past so many years have not been absorbed whereas in other Railways and other Central Government organizations, CCAAs of up to last year have been absorbed. … (*Interruptions*)

Hence, I would humbly request the hon. Railway Minister to sympathetically consider the request of the CCAAs of ICF for absorption in ICF and LHB Unit or anywhere in the Production Units/Zonal Railways in the country. … (*Interruptions*) Also, recognizing the contribution of the staff, grant of one additional increment and one free pass to all ICF staff with dependent parents may be given as a Dimond Jubilee Year gift. Thank you, Madam … (*Interruptions*)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान और बंगलादेश से उत्पीड़न के शिकार होकर जो लोग बड़ी संख्या में हमारे देश में शरणार्थी बनकर आते हैं, मैं उन शरणार्थियों की कठिनाइयों के संबंध में विषय उठाना चाहता हूं। …(व्यवधान) उनके साथ वहां धार्मिक भेदभाव किया जाता है। …(व्यवधान) उन्हें तरह-तरह से उत्पीड़ित किया जाता है।…(व्यवधान) उनकी बहन, बेटियों को बेइज्जत किया जाता है। उनकी जमीन, मकान छीन लिए जाते हैं। …(व्यवधान) बंगलादेश में जो हिन्दू रहते हैं, उनके साथ जो ज्यादती होती है, बंगलादेश की एक लेखिका ने 'लज्जा' नामक उपन्यास में उसका बहुत अच्छा विवरण किया है।

...(व्यवधान) इसी कारण उस लेखिका को बंगलादेश से निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) इसके विपरीत बहुत बड़ी संख्या में लोग घुसपैठ करके हमारे देश में आ रहे हैं और राजनीतिक लाभ के चलते सीमावर्ती राज्यों में उन्हें वोट बैंक की खातिर उन राज्यों में नागरिकता दे दी जाती है।...(व्यवधान) उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं। ...(व्यवधान) किन्तु जो लोग वीज़ा लेकर धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने आते हैं, जब उनके वीज़ा की समयावधि समाप्त हो जाती है, तो उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है। ...(व्यवधान) उन्हें वापिस जाने के लिए बाध्य किया जाता है। ...(व्यवधान) पुलिस उन्हें तरह-तरह से परेशान करती है, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं। ...(व्यवधान) यहां आने के बाद जब उन्हें वापिस जाने के लिए बोला जाता है, तो वे अपना दर्द इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि भले ही आप हमें मार दो, हमारी जान ले लो, लेकिन हम पाकिस्तान और बंगलादेश वापिस नहीं जाना चाहते। ...(व्यवधान) उनके बच्चे भी वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ाए जाने से मानवीय अधिकारों और शिक्षा के अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है कि बच्चा जहां पैदा हो, उसे वहां की नागरिकता मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) उसकी वीज़ा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोई दम्पत्ति हवाई जहाज में जा रहा है और हवाई जहाज में उसका बच्चा पैदा हो जाए तो जिस देश की सीमा के ऊपर से हवाई जहाज जाता है, उसे वहां की नागरिकता मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) लेकिन हमारे देश में शरणार्थियों के बच्चे बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बंगलादेश से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जाए, उनकी वीज़ा अवधि बढ़ाई जाए और मानवीय अधिकारों से उन्हें यहां संरक्षण दिया जाए ताकि उनके वोटर कार्ड बन सकें, राशन कार्ड बन सकें और वे सामान्य नागरिकों की भांति यहां सम्मानजनक जीवन जी सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री निशिकांत दूबे, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, श्री पी.पी. चौधरी और श्री भैरो प्रसाद मिश्र को डॉ वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Speaker, Madam, I would like to bring to the notice of the Government about the request of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma. In a letter written to the hon. Prime Minister, our hon. Chief Minister has painfully informed about the tragic incident which occurred in the high seas of the coast of Bahrain in which a fisherman named Thiru Antony Arul Anish, s/o Androse, hailing from Enayam

Puthenthurai Fishing Village of Kanyakumari District, Tamil Nadu was shot dead by sea pirates… (*Interruptions*)

The body of the deceased fisherman is now reportedly kept at a hospital in Bahrain. The sudden demise of the fisherman has put his family to great financial and mental hardship… (*Interruptions*)

I would, therefore, once again request the Government of India on behalf of Dr. Puratchi Thalaivi Amma, to take all initiatives to arrange for the transportation of the body of the deceased fisherman back to Tamil Nadu at the earliest.

Madam, I would also request you to kindly direct the officials of the Indian Embassy to take up this matter with the employer and to ensure that the terminal monetary benefits are released to his family without any delay as well as take the initiative to prevent recurring of such incidents in future… (*Interruptions*)

Thank you.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam, kindly permit me to speak from this seat.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Thank you, hon. Speaker, Madam for giving me this opportunity to speak on the Zero Hour regarding a most important issue that the Young India is facing today.

As the august House knows, we are entering into a Young India and we often talk of promoting education. It has been the priority of the Government to impart education as a Right to Education. But the reality is that procuring such loans for higher studies is not that easy. Higher studies in India as well as abroad have become very, very costly nowadays. The banks have got different norms for the sanction of these loans. With the result, the children, especially economically backward children are facing a lot of problems as their parents have no credit history and so, they are not given loans. Moreover the banks collect different forms of securities against the education loan. This could be bank deposits or post office deposits or various other forms of securities. There is no particular uniform

code for these securities. It is also difficult to get loan for education from non-recognized universities.

Hence I would request the Government to see that the education loan schemes are given to the meritorious candidates, who are economically backward. Insurance also should be made a part of the education loan. God forbid, if a student is deceased, his parents are facing a lot of problems in repaying of this loan. So, insurance should be brought; and credit guarantee scheme should also be brought in for the education purposes. I am sure, with all these things, if done, it will promote the Young Indians and students of this country to get higher studies and make India literate. Thank you so much.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैडम स्पीकर, जब मानसून सत्र शुरू हुआ था उस समय कहा जा रहा था कि मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अब दो दिन के बाद मानसून सेशन खत्म होने वाला है, कल मुझे पता चला कि मौसम काफी बेइमान हो चुका है। देश ने पिछली सेन्चुरी में स्ट्रीक ऑफ फासिज्म को देखा था और आज इस सत्र में हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉसिज्म इनसाइड द हाऊस की कोशिश की जा रही है, आपके पेशेन्स को चुनौती दी जा रही है।

13.00 hrs.

…(व्यवधान) मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी पैशन्स बरकरार रहे और हाउस को सही ढंग से चलाने की आप कोशिश करें। ...(व्यवधान) Now I come to the point. … (*Interruptions*)

Madam, last week the INA Trust had organised a function in memory of Netaji Subhas Chandra Bose and it is not only in that function but also the country needs to know to declassify the files relating to Netaji. … (*Interruptions*) The Justice Mukherjee Commission, which was established during Atal Ji's time, had also recommended for declassification of those files which were classified during the Congress regime.… (*Interruptions*) In 2014, the present Home Minister had been to Cuttack, my constituency, the birthplace of Netaji and in his birthplace, he

had committed that after our Government comes to power, we will ensure to declassify all those files relating to Netaji for public consumption.… (*Interruptions*) The accident that occurred at Formasa Island in the present Taiwan is doubtful. That is what the Justice Mukherjee Commission has mentioned. So, when the accident is in doubt, then what happened after that to Netaji's life is also needed to be probed.… (*Interruptions*) A number of Commissions and Committees have been established but I would urge the Government, through you, Madam, to declassify all those classified documents which are relating to Netaji. The quicker it is done the better. Because it was a commitment by the then President of the Bharatiya Janata Party and the present Home Minister, Shri Rajnath Singh.… (*Interruptions*).

So, I would urge upon the Government to declassify all those files relating to Netaji's disappearance as early as possible. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Nishikant Dubey, Dr. Kirit P. Solanki, Shri Sudheer Gupta, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri P.P. Chaudhary, Shri Prahlad Singh Patel, Shri C.R. Chaudhary, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Ramesh Shewale, Dr. Virendra Kumar and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जो लोग वेल में हैं, मैं उनसे बार-बार निवेदन कर रही हूं कि please go to your seats. This is not fair. The House is for discussion. All of you, please go to your seats. I am sorry. This is not fair.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

<u>14.15 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Matters under Rule 377.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, we are requesting for the admission of our Adjournment Motion which for many days, we have been trying for. Our intention is to discuss the issue thoroughly under Adjournment Motion, if they are free. Though they do not have any hitch, I do not know why they are opposing discussion under Adjournment Motion. I agree that they are always telling outside that we are not ready, the others are ready, but the Government is ready to discuss. Then, why do you not allow the Adjournment Motion to be taken up? Why are you afraid of that? It is just to blame others. You are not ready to discuss it.

Sir, you know that the importance of an Adjournment Motion is different from that of a discussion under Rule 193. Changing the subject and putting it under Rule 193 means that you want to suppress the facts and want to just discuss it.

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay. Now, we are taking up matters under Rule 377.

Already the Speaker has given ruling regarding the Adjournment Motion.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): After the hon. Speaker has given a ruling, it is unfair on the part of anybody … (*Interruptions*)

Who is afraid? Who is going out of the House? Who is speaking outside? Everybody knows. People with such an experience … (*Interruptions*) authority. The Government is ready to discuss. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, I have seen your statements outside where you are telling that the Congress Party is not ready, the opposition party is not ready to discuss. They are ready to discuss; we are ready to discuss. Take it up under the Adjournment Motion.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are ready for discussion right now. … (*Interruptions*)Sir, right now we are ready for a discussion. They have been disrupting the House. They have been abusing authority. They have been displaying placards. They are going out and holding demonstration. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You have got brute majority in the House. You put it to vote and defeat our resolution. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Government from day one is ready to discuss this issue. … (*Interruptions*) They are afraid that the truth may come out. We are ready even now. Come on, let us start the discussion now.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the matters under Rule 377 be over.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Yes, if they are ready.

HON. DEPUTY SPEAKER: After matters under Rule 377 are over, we will take it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, why I am telling you is that every time, repeatedly, they are telling that the Congress Party and other opposition parties are not ready to discuss; they are disrupting: they are spoiling the atmosphere. … (*Interruptions*) Why are you hesitating to discuss this issue under Adjournment Motion? Why are you hesitating? … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are ready just now. Start a discussion within one minute. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You are changing the subject. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Start the discussion. You are afraid to discuss. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Hon. Deputy Speaker, Sir … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already expressed your view. I had allowed you to speak and you have spoken.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, hon. Parliamentary Affairs Minister also knows the difference between a discussion under Rule 193 and Adjournment Motion. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is not the issue. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : When we are insisting on Adjournment Motion and are ready for discussion, then why are they escaping and why are they changing? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, the Minister has already replied.

You raised the issue and the Minister replied. The matter is over.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are not escaping. From day one, we are here. They escaped from the House for 11 days. … (*Interruptions*) They held demonstrations outside. They were shouting slogans. It is unfortunate and unfair. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Matters under Rule 377 – Shri Ajay Misra Teni.

… (*Interruptions*)

14.19 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

<u>14.19 ½ hrs.</u>

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to construct embankments on rivers originating from Nepal causing land erosion in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र खीरी (उत्तर प्रदेश) नेपाल का सीमवर्ती क्षेत्र है जो नेपाली नदियों मोहाना, गौड़ियाला की वजह से बाढ़ व कटान से प्रभावित है। कटान की वजह से कई सौ एकड़ कृषि भूमि सहित बहुत से गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है जिसकी वजह से उक्त क्षेत्र के रहने वाले लोग आर्थिक संकट के साथ-साथ आवास शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पीने के पानी व परिवहन सहित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं।

उक्त बाढ़ व कटान की समस्या के आंशिक निदान हेतु बेला, परसुआ व सूरत नगर तहसील/ ब्लॉक निघासन, जिला लखीमपुर खीरी हेतु क्रमशः लगभग 10 करोड़ व 11 करोड़ लगभग 21 करोड़ रुपए का आबंटन तटबंधों के निर्माण हेतु किया गया था। उक्त कार्यों के टेंडर व काम शुरु होने के बाद पूरा किए बिना काम बंद कर दिया गया जिससे पुनः उक्त क्षेत्र बाढ़ व कटान से प्रभावित है। उक्त क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि आबंटित धन का दुरुपयोग संबंधित लोगों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि सारी प्रक्रिया (टेंडर आदि) की होने व काम शुरु होने के बाद बंद हो जाने के कारण आशंका है कि उक्त योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है।

(ii) **Need to take remedial steps to deal with drought condition in Santhal pargana and their adjoining areas, Jharkhand.**

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Of late, Jharkhand and the regions of Santhal Pargana and their adjoining areas are slowly turning into drought prone areas where truant monsoons are playing havoc very frequently. … (*Interruptions*) Normal rainfall has become rare in these regions of the State. … (*Interruptions*) A large number of areas in various parts of our country have either turned drought prone or have been affected by drought sometimes or other bringing miseries to the people and their livestock in such areas. … (*Interruptions*) When drought conditions engulf any area, the worst sufferers are the farmers and other inhabitants, having no food to eat and water to drink for their survival, resulting in their exodus. … (*Interruptions*) In such areas, starvation deaths are very common. … (*Interruptions*) The worst sufferers are the mute livestock. … (*Interruptions*) Their owners leave them stray and without fodder and water ultimately resulting in their death. … (*Interruptions*) The farmers lose their crops and hopes. … (*Interruptions*) The indebted farmers do not have money to restart agricultural operations even if they want. … (*Interruptions*) Frustrated with dashing hopes, many of them take extreme step of committing suicides. … (*Interruptions*) Santhal Pargana region of Jharkhand has become synonymous with suicides of farmers. … (*Interruptions*)

It has been observed that in Jharkhand and other parts of the country, the farmers have started growing water-intensive cash crops to earn more money, resulting in decline of ground-water levels to dangerous levels which make such areas drought prone. … (*Interruptions*) Hence, diversification of crops from water-intensive ones to crops needing very less water has become necessity of the day. … (*Interruptions*) Promotion of water bodies like Punasi, Burhi, Suggabathan, Bateshwar Sthan, Harnabeer, Kajhiabeer, Trivenibeer, Trikut, Krishna Sagar and new projects proposed by 2nd Irrigation Commission of India and Bihar, have

become necessary for the drought-affected and drought-prone areas. … (*Interruptions*)

At the same time, it is necessary that the supply of food, potable water and fodder is maintained uninterrupted on priority so that people do not have to leave their places and their livestock is not left to die. … (*Interruptions*) The farmers need to be given ex-gratia and financial assistance so that they do not take the extreme step of committing suicide. … (*Interruptions*)

.

(iii) Need to provide employment opportunities to local people in mining jobs in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा (राजस्थान) में लौह अयस्क एवं जस्ता अयस्क के प्रचुर भण्डार हैं। देश के दो बड़े कॉरपोरेट घराने वहां पर खनन कार्य कर रहे हैं परन्तु उन खदानों में कार्य करने के लिए स्थानीय लोगों की अनदेखी की जा रही है तथा बाहर के व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक सरकारी उपक्रम है, को भी लौह अयस्क खान का आबंटन हो गया है तथा वह भी खनन कार्य शुरु करने वाला है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्टील ऑफ अथॉरिटी लिमिटेड एवं उपरोक्त दोनों कॉरपोरेट घरानों को निर्देशित करे कि वह ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे।

(iv) Need to re-design the railway over bridge near Khurai-Rahatgarh Bus stop in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र सागर के खरई राहतगढ़ बस स्टॉप के पास बने रेलवे उपरिपुल की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पुल का डिजाइन गलत बन जाने के कारण ट्रकों, बसों एवं कारों को पुल पर चढ़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे इस पुल पर कई दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन जाम लगा रहता है। इस पुल के डिजाइन में संशोधन किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलवे उपरिपुल के डिजाइन को संशोधित किया जाए।

(v)Need to curb the unethical business of cultured diamonds in the garb of natural diamonds

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जिसका संबंध देश के व्यापार से जुड़ा हुआ है। मेरा क्षेत्र सूरत हीरा उद्योग के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर 10 में से 9 हीरों का संबंध सूरत से होता है। आजकल सूरत ही नहीं, पूरे गुजरात एवं मुम्बई में हीरे का व्यापार विकसित हुआ है। उस विस्तार में हीरा व्यवसायियों को सिन्थेटिक डायमण्ड की चिंता सता रही है। पिछले दिनों जब एक व्यापारी के पास हीरे बिक्री हेतु आये और उस पर मेग्नेट घुमाया तो कई हीरे मेग्नेट से चिपक गए। उस घटना के बाद सूरत, मुम्बई, भावनगर, अहमदाबाद के व्यवसायी चिंता में हैं, क्योंकि यह मानव सृजित हीरा कुदरती खदानों से निकले हीरे से तकरीबन आधी या उससे कम लागत वाला होता है परन्तु दिखने में कुदरती हीरे जैसा ही है। इसकी परख सामान्य आदमी, छोटे व्यापारी या दलालों को नहीं होती। यदि इन नकली हीरों का बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ तो यह कीमत और भी कम हो सकती है। मुम्बई के बांद्रा-कूला कॉम्पलेक्स के व्यवसायी भी इस नकली हीरे से परेशान हैं। अगर नकली हीरा पहचानने की मशीन ली जाए तो उसकी लागत 80 लाख रुपये है जो सामान्य कारीगर या व्यापारी की क्षमता से परे है। वह भी फूलप्रूफ हो, इस पर शंका है। जिस तरह से देश में मछली के माध्यम से निकलने वाला सच्चे मोती का व्यापार कल्चर माता के आने से टूट गया, मुझे डर है कि कहीं कल्चर हीरे के आने से इस व्यवसाय की भी हालत ऐसी ना हो। डायमंड एसोसियेशन इस संबंध में चिंतित है। 11 लोगों की कमेटी बनी है जो इस विषय पर सक्रिय है पर उनको अगर सरकार भी मदद करे, जैसे देश में जिन रास्तों से इन नकली हीरों का प्रवेश होता है, उन्हें रोकने हेतु उचित कदम उठाये जाएं। साथ ही इस प्रकार से नकली हीरों को असली कहकर बेचने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएं, यह आज की मांग है, क्योंकि इस व्यवसाय में अकेले गुजरात में ही 10 से 15 लाख परिवारों को गुजारा हो रहा है और यह व्यवसाय करोड़ों लोगों की रोजगारी का माध्यम है।

ऐसा कहा जाता है कि विश्व में हीरा मार्केट से जेम एण्ड ज्वैलरी की जो कुल निकासी हुई है, उसमें अंदाजित 3.50 लाख कैरेट यह सिन्थेटिक डायमण्ड था। यदि सिर्फ मेरे मतक्षेत्र सूरत की बात की जाए तो पिछले साल अंदाजित पांच हजार करोड़ के सिन्थेटिक डायमण्ड का मिक्सिंग असली हीरों के साथ किया गया होने का अन्दाजा लगाया जा रहा है। इन आंकड़ों से इस विषय की गम्भीरता स्पष्ट हो रही है। सबसे बड़ी नुकसान कारक बात विश्वसनीयता के खत्म होने की होगी, क्योंकि हमारे यहां जो हीरा का

बाजार रोजाना लगता है, उसमें प्रतिदिन लाखों करोड़ों का व्यापार सिर्फ एक दूजे के विश्वास से ही होता है। सिन्थेटिक हीरा बेचना गुनाह नहीं, पर असली के साथ मिलाना या असली हीरा कहकर बेचना यह अपराध है। आज यह अपराध बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिससे पूरे गुजरात एवं मुम्बई में करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ देश को विदेश मुद्रा बड़ी मात्रा में दिलाने वाला विश्वास पर चलने वाला व्यवसाय चिंता में है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस अपराध को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं, साथ ही अमेरिका, हांगकांग जैसी जगहों से देश में आने वाले हीरों पर निगरानी बढ़ायी जाए। … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will allow him after completing matters under Rule 377.

… (*Interruptions*)

(vi) Need to address the problems being faced by NRIs with regard to passport, visa and Consulate General Office

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): It is a well-known fact that a large number of Indians across various States of the country go abroad every year to earn their livelihood. Most of them use the services of agents to enter various countries legally or illegally. The passports of such persons are generally collected by the travel agents and the same are never returned to them when they cross the international border illegally. After reaching their destinations, with the help of local legal assistance, most of them do get political asylum. Now, a large number of such persons have spent 20 or 30 years abroad and now they want to come back to India to meet their family members. These people have earned their livelihood by hard work and they now want to invest their surplus savings in India. The India law does not permit them to come to their mother nation as a result of which they cannot come and see their family members and also they are unable to contribute or avail of the investment opportunities back home. There is no criminal case pending against them. It is requested that suitable amendment should be made in the existing law so that these people also get necessary travel documents to come back to their nation.

There is a need to open more number of Consulate General Offices of India at various places so that people do not have to travel long distances to get counsel assistance. It has been observed that Consulates in USA, Canada, Australia and Europe are at long distances, which are inconvenient to access.

A number of NRIs have been denied Visa on the ground that their names figure in the blacklist maintained by the intelligence agencies. There are no criminal cases pending against them, but still they are not able to get necessary travel documents. It is requested that the Government of India should scrap that list.

(vii) Need to institute an inquiry into the alleged irregularities of Panem Coal Mines Limited in Pakur district, Jharkhand causing heavy revenue loss to the exchequer.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के पाकुड़ जिला में पैनम कोल माइन्स के विभिन्न कोयला खदानों में राजस्व चोरी करने की दृष्टि से और प्रबंधन द्वारा खदानों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं करने के कारण माइन्स के कई स्थानों पर कोयले में आग लगा दी गई ताकि जले कोयले पर कम्पनी के द्वारा राजस्व का भुगतान न करना पड़े। इस कम्पनी के माध्यम से पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा स्थित पछवारा में सेन्ट्रल कोल ब्लॉक का आवंटन केन्द्र सरकार के द्वारा पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन को किया गया है। पूर्व में इसे एम्टा (EMTA) कम्पनी के साथ पंजाब पावर कार्पोरेशन को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था और इस कंपनी द्वारा लाखों टन कोयला की कालाबाजारी की गई है। दूसरे मामले में उपायुक्त, पाकुड़ ने पैनम कम्पनी से 9991.91 लाख रुपये की वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई करने और इस प्रयोजन हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने की अनुशंसा की थी परन्तु मामले से संबंधित फाइल गायब करा दी गई। इस संबंध में झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य को पत्र प्रेषित किया गया है। इससे ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व की भारी क्षति हुई है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित कम्पनी के द्वारा प्रत्येक नियम विरुद्ध कार्यों की उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित कराकर शीघ्र समुचित कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

(viii) Need to resolve the issue of transfer of state civil and police service officers from Uttar Pradesh to Uttarakhand.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर उत्तराखण्ड राज्य का सृजन हुआ। नवीन राज्य के गठन के कारण दोनों ही राज्यों में सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा के अधिकारियों का आवंटन हुआ। इनमें से उत्तर प्रदेश से सिविल सेवा के 05 तथा पुलिस सेवा के 02, कुल 07 अधिकारियों ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में ही सेवा करते चले आ रहे हैं। दिनांक 12 फरवरी, 2015 को माननीय न्यायालय द्वारा इन अधिकारियों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं, जिस पर भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन्हें उत्तराखण्ड भेजे जाने के आदेश जारी कर दिए। इस संबंध में भारत सरकार के समन्वय विभाग के स्तर पर दोनों राज्यों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दोनों ही राज्य सरकारों ने इन अधिकारियों को वर्तमान नियुक्ति स्थल पर ही समायोजित करने की संस्तुति की तथा अवगत कराया कि ऐसा न करने पर इन अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण न्यायालयों में लम्बित होंगे। इन्हें अपने से अनेक वर्ष कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करना होगा जिसका असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा। विगत में उत्तर प्रदेश से सचिवालय सेवा के अधिकारियों को उत्तराखण्ड हेतु कार्यमुक्त किया गया था किन्तु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उन्हें अपने यहां लेने से इंकार कर दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश को उन्हें फिर अपने यहां वापस लेना पड़ा। किन्तु दोनों राज्य सरकारों के लगातार अनुरोध के बावजूद भी भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ऐसा करने से मना कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इस निर्णय के कारण वर्ष 2014 की रिक्तियों हेतु राज्य सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को निर्देशित किया जाए कि वह संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रेषित सूची पर प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु पत्र जारी कर काडर संबंधी बंटवारे का निर्धारण प्रोन्नतियों के बाद किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

(ix) Need to permit release of funds under Member of Parliament Local Area Development Scheme to organizations engaged in cleanliness drive in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया गया था। इसके बाद स्वच्छता के कार्यक्रम में काफी तेजी भी आई है और बहुत सी संस्थाएं इसमें जुड़ी भी हैं। संस्थाओं ने समाज को जोड़कर स्वच्छता के काम को अपने हाथ में लिया है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बीकानेर शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए स्वच्छता प्रहरी संस्थान का समाजसेवी लोगों ने गठन किया है। उनको प्रतिदिन स्वच्छता के लिए बहुत से उपक्रमों की आवश्यकता है। साथ में एक कचरा कलेक्शन वाहन की भी आवश्यकता होती है। एमपीलैड स्कीम में आवश्यक संशोधन किया गया है लेकिन एमपीलैड स्कीम के तहत उन संस्थाओं को राशि जारी नहीं हो सकती जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि के तीन साल से कम हो। चूंकि योजना का शुभारम्भ ही 15 अगस्त, 2014 को हुआ, अतः इस तिथि के बाद जो संस्थाएं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसी संस्थाओं को एमपीलैड स्कीम से कचरा कलैक्शन वाहन सहित अन्य उपकरण खरीदने की अनुमति होनी चाहिए।

(x) Need to permit farming activity on land falling under Kanwar Lake Bird Sanctuary in Begusarai Parliamentary Constituency, Bihar.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : माननीय उपाध्यक्ष जी, छठी एवं सातवीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय राजाओं की देवी माँ जयमंगला और नौलागढ़ राजधानी और फौज की छावनी के रूप में इतिहास में वर्णित है। जयमंगलागढ़ से नौलागढ़ के बीच की दूरी में सुरंगें बनी हुई थीं और जयमंगलागढ़ में ही उनकी सर्वमंगला देवी पीठ विजयश्री के प्रतीक के रूप में अभी भी लाखों करोड़ों की आस्था की देवी है। 14 हजार एकड़ का यह भू-भाग कावड़ झील के रूप में विख्यात रहा है। जाड़े के दिनों में साइबेरियन पक्षी प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर कुछ माह के लिए यहां बसेरा करते थे। इलाके के हजारों मछुआरे इस झील से अपनी जीविका चलाने के लिए मछली का शिकार किया करते थे, पर अब इतिहास की ये सारी स्मृतियां गौरवशाली आलेख समाप्त हो गए हैं। झील की जगह पर फटी हुई वसुन्धरा की दरारें पड़ी हुई हैं।

मात्र बैशाख के दिनों में 500 एकड़ जमीन में पानी रहता है। शेष भागों में ऊख, गेहूं, रैंचा, मकई की फसलें हो रही हैं। केन्द्र सरकार ने इसे 1998 ई0 में पक्षी विहार के रूप में अधिसूचित किया था लेकिन अभी यह पिछले 12 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। इसमें किसानों की खेती होती है। केंद्र सरकार इस पक्षी विहार को लेकर खड़ी है। लाखों की आबादी जीविका को लेकर खड़ी है। पेट की रोटी और मन के प्रवाह में गतिरोध है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि लाखों किसानों को बिना जल के पक्षी विहार की रट लगाकर किसानों एवं आमजन को आत्महत्या के लिए प्रेरित न करें।

(xi) Need to set up a Krishi Vigyan Kendra in Hapur, Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हापुड़ एक नवसृजित जिला है, जिसका गठन लगभग तीन वर्ष पूर्व हुआ था। इस जनपद में गेहूं, धान, गन्ना, आलू इत्यादि के अतिरिक्त अनेक प्रकार की सब्जियों तथा फलों का उत्पादन होता है। जनपद में कृषि उत्पादों की विविधता को देखते हुए तथा किसानों को सेवा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से जनपद मुख्यालय हापुड़ में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि हापुड़ जनपद के मुख्यालय पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कष्ट करें।

(xii) Need to convert National Highway No. 79 between kishangarh in Rajasthan and Ahmedabad into six lane.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर किशनगढ़ से अहमदाबाद मार्ग वर्तमान में फोर-लेन बना हुआ है। उपरोक्त मार्ग किशनगढ़ से भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर एवं गुजरात राज्य के अंदर से गुजरता है। किशनगढ़ से अहमदाबाद तक की दूरी लगभग 550 किलोमीटर के रास्ते में किशनगढ़ की मार्बल मण्डी, गुलाबपुरा के उद्योग, भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग, चित्तौड़गढ़ की मार्बल इकाइयां, जिंक संयंत्र, सीमेन्ट उद्योग का भारी परिवहन, उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय के वाहन, अहमदाबाद तक जाने वाली चिकित्सा सुविधा वाले वाहन सहित हजारों की संख्या में सभी प्रकार के वाहन इस मार्ग पर चलते हैं। वर्तमान में यातायात एवं परिवहन के साधनों की संख्या को देखते हुए फोर-लेन मार्ग उक्त दबाव को सहने में सक्षम नहीं है, इसके कारण वर्तमान में कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो गया है। किशनगढ़ से अहमदाबाद फोन-लेन से जुड़ हुए कई प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग, सांवलिया सेठ का मंदिर, उदयपुर के मनोरम प्राकृतिक स्थान एवं अन्य कई प्रसिद्ध स्थान भी हैं, जहां पर देश-विदेश से अनेक सैलानी भी आते हैं। यातायात एवं परिवहन के साधनों के उपयोग के आधार पर देखा जाए तो यह राजस्थान का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। उपरोक्त सभी कारणों के देखते हुए किशनगढ़ से अहमदाबाद के वर्तमान फोर-लेन को सिक्स-लेन में परिवर्तन करने पर पर्यटन उद्योग एवं औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ आम जन-जीवन को भी सुविधा मिलेगी, साथ ही समय की भी बचत होगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए इसे सिक्स-लेन में परिवर्तित करने की योजना को शीघ्र स्वीकृत करने की कार्रवाई करें। इस मार्ग का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने पर आमजन का राहत मिलने के साथ ही इस क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

(xiii)Need to provide subsidy on seeds, irrigation and solar energy equipment to farmers in Rajasthan

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। मानसून समय पर नहीं आने एवं अल्पवृष्टि से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है। फसल पकने पर ओलावृष्टि एवं वर्षा से फसलें चौपट हो जाती है। राजस्थान का 2/3 भाग मरुस्थलीय एवं अर्द्ध मरुस्थलीय है तथा सम्पूर्ण राज्य में वर्षा कम होती है। यहॉ पर ड्रिप सिंचाई एवं सौर ऊर्जा से सिंगल फेज ट्यूबवैल चलाये जाते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्रों में किसानों को अनुदान देने से पिछले कुछ वर्षों में किसान इनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। नहरी क्षेत्र में खेतों में पक्की डिग्गी निर्माण पर जो अनुदान दिया जाता था, वह भी बन्द कर दिया गया है। इन विषम परिस्थितियों में किसान अपने परिवार एवं देश के लोगों का अनाज उत्पन्न कर पालन करता है। हमारी सरकार किसान हितैषी है एवं उनकी खुशहाली के लिए चिन्तित है। किसानों को संकट से उबरने के लिए एवं उसको बीज, खाद, सिंचाई उपकरण एवं सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर अनुदान दिया जाता रहा है। पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई उपकरण एवं सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर अनुदान दिया जाता रहा है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई एवं सोलर सिस्टम पर अनुदान कम कर दिया गया है। अनुदान की राशि कम करने से किसानों में रोष व्याप्त है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः-

संयंत्र	कृषक श्रेणी	सत्र 2013-14 का देय अनुदान					सत्र 2013-14 का देय अनुदान				
ड्रिप सिंचाई संयंत्र		देय अनुदान प्रतिशत	प्रतिशत अंश: केन्द्रीयांश	राज्यांश	अति राज्यांश	कृषक अंश	देय अनुदान प्रतिशत	प्रतिशत अंश: केन्द्रीयांश	राज्यांश	अति राज्यांश	कृषक अंश
	सामान्य	90	40	10	40	10	50	25	10	15	50
	लघु /सीमान्त	90	40	10	40	10	70	35	10	25	30
	डी.पी.ए.पी/ डी.डी.पी. क्षेत्र के सामान्य कृषक	90	40	10	40	10	70	35	10	25	30
	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के लघु सामान्य कृषक	90	40	10	40	10	70	50	10	10	30
सौलर पम्प	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के सामान्य कृषक	86	56	30	0	14	70	30	40	0	30
	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के लघु सामान्य कृषक	86	56	30	0	14	70	30	40	0	30

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व की भॉति इन पर किसानों को अनुदान दिलाया जाए ताकि देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

(xiv) Need to construct a road overbridge on level crossing no. 1 on the Hubli-Gadag stretch of National Highway no. 63 in Karnataka

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Hubli in Karnataka is the second largest city in the State in terms of population and area after Bengaluru. This city is joined by three National Highways viz. NH-4 Bengaluru-Pune, NH-218 Hubli-Vijaypur and NH-63 Ankol-Gooty and all the three Nantional Highways have heavy traffic movement. There is a Railway Gate No-I, a manned Gate across NH-63 on the outskirts of city on the Hubli-Gadag stretch where thousands of vehicles get stranded causing traffic congestion. There is a proposal for construction of ROB on this Railway gate to ease out the traffic congestion which was sanctioned in 2010 Railway Budget at the cost of Rs 20 crores on cost sharing basis. Now the State of Karnataka has also conveyed its sanction of its share and despite this the matter is not moving fast and people of the region are restless for this inordinate delay. This ROB needs to be constructed at the earliest in the interest of development of this region and also to avoid traffic hazards. I urge the Government and especially the Ministry of Railways to expedite the matter. … (*Interruptions*)

(xv)Need to ban construction activity in the sensitive zone of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): It is understood that a private builder through Government of Maharashtra Housing Ministry has proposed a housing complex in the name of slum rehabilitation project affecting people's rehabilitation. … (*Interruptions*)

It seems that land use was changed or being changed and constructions were to be carried out in no development zone or security sensitive zone of Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Chembur Mumbai near HPCL Chembur, Mumbai. Department of Atomic Energy, BARC and also HPCL, Ministry of Oil and Natural Gas, Home Ministry, Government of India have raised objections and expressed concerns about constructions in such security sensitive area near BARC and HPCL. … (*Interruptions*) The so-called private builder is once again trying to obtain NoC from BARC and HPCL, which is dangerous for the safety and security of the people of Mumbai. So, NoC should not be given. … (*Interruptions*) Department of Atomic Energy, BARC should raise objections and send instructions accordingly to Government of Maharashtra and other agencies.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gutha Sukender Reddy – not present.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh – not present.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri C. Gopalakrishnan.

(xvi) Need to set up a Multi-Speciality Hospital at Ooty

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Ooty, popularly known as Udhagamandalam, is a resort town in the Western Ghats and is the headquarters of Nilgiris district in Tamil Nadu. … (*Interruptions*) Situated at an altitude of 2240 metres, Ooty is the most popular hill station in the South and Nilgiri, India's first biosphere, has been declared as one of the 14 'hotspots' of the world because of its unique bio-diversity. Nilgiri presents a truly breath taking kaleidoscope of visual treats and soul stirring experience. … (*Interruptions*) Ooty has a population of over 8 lakh and attracts domestic and foreign tourists in thousands every day and the tourists' inflow increases sharply during summer. The Centre provides various assistance to such special areas in the country. … (*Interruptions*) People of this region cannot afford expensive speciality treatment from private hospitals. It is also difficult to reach Coimbatore for emergency treatment which is about 85 kms away. … (*Interruptions*) Government of Tamilnadu has launched several social welfare and health schemes for the benefit of people of this hilly terrain. Setting up of a Central Government Hospital will be a great solace to the people of Ooty and also boost tourism. … (*Interruptions*) Tourists, particularly elders and children would find such a hospital very useful in times of need. I would appeal to the Government to set up a multi-speciality hospital at Ooty for better health care of the people of this hill station and also for the tourists. … (*Interruptions*)

(xvii) Need for formation of Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulation Committee

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): On account of untiring efforts of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi amma and the intervention of the Supreme Court, the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal dated 05.02.2007, has been notified by the Government of India on 19.02.2013. … (*Interruptions*) Our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi amma has been urging the Government of India for the early formation of the Cauvery Management Board and the Cauvery Water Regulation Committee. A '*pro tem*' Supervisory Committee has been formed which has not yet been effective. … (*Interruptions*) This request was made on 3rd June, 2014 by our dynamic leader which has not yet been favourably considered by the Government of India. The Government of India should take necessary steps to form Cauvery Management Board and the Cauvery Water Regulation Committee immediately.

(xviii)Trafficking of Children in the Country

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, since the House is not in order, I am not going to read my Matter under Rule 377. Please allow me to lay it on the Table of the House.

*It is a matter of shame that in spite of all round development, still incidents of trafficking of children are emerging. The Government is making efforts through Anti Trafficking nodal cell, but the situation has not improved and we come across incidents of trafficking of children. Last year it is suspected that trafficking of 578 children occurred from West Bengal, Jharkhand, Bihar. On 24th May, 2014, 123 children of West Bengal were found at a Railway station in Kerala without any valid document. Children easily fall prey to the wrong persons working in orphanages or Juvenile Homes. Children rescued from trafficking should be sent to safe places and rehabilitated or sent to their homes. Those indulging in child trafficking should be severely punished under Indian Penal Code so that they dare not to indulge in child trafficking in future. I would strongly urge the Ministry for Women and Child Development and Ministry of Home Affairs to ensure that no trafficking of children takes place in our country. Enough safeguards should be in place to ensure that no child is put to such hardship. Hence it would be in the fitness of things if the Government take extraordinary measures to ensure that not even a single trafficking case takes place hence forth.

---

* Laid on the Table.

(xix) **Need to take necessary steps for the establishment of Sub-regional Science Centres at Keonjhar, Jeypore and Khandapada in Odisha**

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): The Government of Odisha have submitted a proposal to the National Council of Science Museums, Kolkata as well as Ministry of Culture for establishment of Sub-regional Science Centre (SRSC) at Keonjhar, Jeypore, and Khandapada in Odisha in order to popularise developments in science and technology as well as to inculcate the scientific temper in society, especially among the rural students. Since these centres are based on learning through models and exhibitions, they could enable students, teachers and general public to develop interest in scientific enquiry, creativity and logical curiosity easily. So to foster scientific temper, the proposal for establishment of Sub-regional Science Centre at Keonjhar and Jeypore was submitted in 2010 and proposal for establishment of the SRSC at Khandapada has been made in 2015. However, the decision in respect of all the proposals has been pending with Ministry of Culture.

In this regard, I urge upon the Minister of Culture to take necessary steps to finalise the said proposals to facilitate establishment of Sub-regional Science Centres at Keonjhar, Jeypore and Khandapada in Odisha at the earliest.

(xx) Need to take measures for the welfare of fishermen in the country

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में मछुआरों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। आज के समय में मछुआरों को मछली पकड़ने के अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण वे अपने परिवारों का ठीक से भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मछुआरों की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण वे बचपन से ही अपने बच्चों को मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगा देते हैं। आज देश के मछुआरों के पास पक्के मकान नहीं हैं, इसकी वजह से इनको कोलीवाड़ा में रहना पड़ता है। यह समुद्र के किनारे ही बने होते हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण ये लोग तटवर्ती विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone) में आते हैं। इनके परिवार बदतर हालत में जीने को मजबूर हैं। मछुआरे अपनी नौकाओं को वर्षा के समय बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु उचित साधन होने होने के कारण इनकी नौकाएं जल्दी खराब हो जाती हैं। इनकी परेशानी यही खत्म नहीं होती है। मछुआरे मछली पकड़ने ज्यादातर खाड़ी इलाकों में जाते हैं, जिसमें कीचड़ होने के कारण मछली नहीं पकड़ पाते हैं, जिस कारण इनके व्यवसाय में कमी आ रही है।

महोदय, अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि मछुआरों को सरकारी अनुदान समय पर मिले, इसके लिए सरकार द्वारा कोई उचित योजना बनानी चाहिए, जिससे इनकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो सके।

(xxi) Need to construct a fly-over at Morampudi section on National Highway No. 16 in Rajamundary, Andhra Pradesh

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): There has been a persistent demand from public for the last three decades regarding construction of fly over at Morampudi Junction on N.H.-16 in Rajamundry as a large number of persons have been killed due to road accidents. During the last three years, around 140 accidents took place at this place killing 64 persons, which is of grave concern.

In view of this, I would, earnestly urge upon the Hon. Minister of Road Transport and Highways to allocate adequate funds for construction of a fly over at Morampudi Junction on NH-16 Rajahmundry so as to ease traffic congestion and reduce the number of accidents.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri B.B. Patil – not present.

Shri Shailesh Kumar alias Bulo Mandal – not present.

(xxii)Need to accord due importance to the services rendered by Central Paramilitary Forces

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): The role of para-military forces is significant in maintaining peace and ensuring internal security of the country. We have witnessed that in recent incidents, a considerable number of soldiers and even officers have scarified their lives while discharging duties and fighting against anti-national elements… (*Interruptions*). The services of Central Para Military Forces are equal to that of Armed Defence forces, but the Para Military Personnel do not attain any key positions like personnel of state police. The posts like Director-General, Special Director-General and Additional Director-General of Central Paramilitary Forces are filled by the IPS officers and not from the officers of Central Paramilitary Forces… (*Interruptions*). Therefore, I urge upon the Government to formulate a clear policy in this regard and consider officers of Central Paramilitary Forces also for key positions along with IPS cadre officers. I also request the government to include the retired personnel of Central Paramilitary Forces in the category of ex-servicemen… (*Interruptions*)

(xxiii) Need to resolve the issue of ban imposed by RBI on transaction by Urban Co-operative bank located in Laldiggi Mohalla in Mirzapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के लालडिग्गी मोहल्ले में स्थित "अर्बन कोआपरेटिव बैंक" में 15 हजार उपभोक्ताओं का 12 करोड़ रूपया फँस गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने बैंक के लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। फरवरी 2014 में हुई छापेमारी में वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियमों को ताक पर रखकर 5 करोड़ रूपए का ऋण बैंक द्वारा वितरित किया गया। बैंक में ऑगनबाडी, ए.एन.एम., विधवा-वृद्धा पेंशन आदि जैसे कई सरकारी खाते हैं, जिससे अधिकारी/कर्मचारी और आम जनता को भुगतान किया जाता है। वर्तमान परिस्थितयों में बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निरस्त किए जाने की नौबत आ सकती है। ऐसी दशा में ग्राहकों की बहुत हानि होगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकरण को अविलम्ब संज्ञान में लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया गवर्नर से संवाद करके इस समस्या का समाधान करें।

(xxiv) Need for expeditious construction of Mahe-Thalassery bye-pass road (N.H.-17), Kerala

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): I would like to draw the attention of this august House regarding the non-completion of the Mahe-Thalassery bye-pass road (N.H.17) Kerala, which has been neglected for several decades and causing traffic jam for hours… (*Interruptions*)

Therefore, I request the Minister concerned to take urgent steps to complete the construction of this busy and important bye-pass… (*Interruptions*)

(xv) Need to impose total ban on slaughter of cow in the country and take effective steps for conservation and development of cow and cow-breeds.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज पूदे देश भर से गौवंश हत्या बंदी और गोवंश संवर्धन के लिए आवाज उठ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से गौवंश पर आधारित थी, परंतु समय के साथ-साथ रसायनों और कृषि यंत्रों ने इसका स्थान ले लिया, जिससे हमारा समाज और गौवंश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रसायनों के उपयोग से भोज्य पदार्थ जहरीले हो गए और अधिक वाहनों के कारण हमारा वातावरण दूषित हो गया है। गौवंश की उपयोगिता के रूप में दुग्ध और दुग्ध पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अमृत हैं। गौमाता केवल पौराणिक आधार पर ही पूज्यनीय नहीं है, अपितु इसकी उपयोगता परिवार, समाज औरर राष्ट्र के लिए भी अद्वितीय है। गौवंश, वास्तव में चलती-फिरती रसायन शाला है जो घास-फूस और हरियाली ग्रहण करके उसके बदले में गोबर, गौमूत्र प्रदान करती है, जो फसलों के लिए भगवान का वरदान है। साथ ही बैलों की उपयोगिता से कृषि में मंहगे डीजल, पैट्रोल की लागत को शून्य किया जा सकता है तथा वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। रसायनिक खेती में पानी अधिक मात्रा में खर्च होता है, लागत अधिक आती है और पानी के स्त्रोत में भी गिरावट आती है जबकि गोबर की खाद से खेती करने पर उत्पादन बढ़ता है तथा कृषि लागत कम होती है और किसान की आय में बढ़ोत्तरी होती है। इसके साथ ही साथ गौ के अपशिष्ट पदार्थों से कीटनाशक खाद, दवाइयाँ आदि निर्मित करने से मानव जाति को फायदा तो होता ही है, साथ ही साथ हजारों हाथों को रोजगार भी मिलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मात्र गौमूत्र से ही 100 से ज्यादा रोगों का इलाज संभव है। इसलिए इसे पांच से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं।

अतः सदन के माध्यम स मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है क भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए गौ संवर्धन और गौ-संरक्षण के लिए ठोस और कारगर नियम बनाए जाएं। गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, गौमाता को राष्ट्रीय प्रतीक मानते हुए इनकी सुरक्षा की जाए एवं गौशालाओं का निर्माण करके इनके वंश में वृद्धि करने के लिए सार्थक नियम बनाए जाएं।

___

15.00 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Matters arising out of Indian Premier League(IPL) Controversy and other related issues

HON. DEPUTY-SPEAKER: Next, the House will take up discussion under Rule 193 – Indian Premier League (IPL) Controversy.

Shri Arjun Ram Meghwal to initiate the discussion.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं 193 की चर्चा शुरू करता हूँ।...(व्यवधान)

SHRI TARIQ ANWAR (KATIHAR): Sir, I would like to draw your attention to Rule 375 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. It says that in the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if she thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by her. … (*Interruptions*)

Sir, I would like to request you that the House is not in order. So, you may kindly adjourn the House immediately… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I am raising a Point of Order under Rule 56. While I support the contention of Shri Tariq Anwar that the House should not run in these disrupted conditions, I would like to quote another rule of which I have given a notice of and that is Rule 56. It is good that the Minister of Parliamentary Affairs is present in the House and I hope that he will reply to the objections raised by me.

Sir, under Rule 356 the House can be adjourned on an Adjournment Motion. Of all the types of Motions available on which there is voting, there is Adjournment Motion under Rule 56. There is No-day-yet-named Motion under Rule 184 and there is No Confidence Motion under Rule 199. Now, the Government is not allowing discussion under Adjournment Motion though Shri Kharge is repeatedly giving Adjournment Motions for the last three weeks for discussion on the Vyapam scam and the Lalit Modi issue and the allegations against the Ministers… (*Interruptions*) I will finish in one minute. When an Adjournment Motion notice is served, one copy goes to the hon. Speaker, the other copy goes to the Minister concerned and one copy goes to the Minister of Parliamentary Affairs. So, they decide which will be allowed and which will not be allowed. Now, the Government may take the position that Adjournment Motion is actually a censure of the Government… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: What do you want?

PROF. SAUGATA ROY: Sir, one minute. Please do not be so impatient. You are running the House in disturbed conditions… (*Interruptions*) Sir, it has been

mentioned in Kaul and Shakdhar, page 529, that the primary object of an Adjournment Motion is to draw the attention of the Government to a matter of urgent public importance so as to criticize the decision of the Government in an urgent matter in regard to which a Motion … (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker Sir, my point of order is in respect of Rule 376.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will give you my ruling. Please wait.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, Adjournment Motion is not being accepted by the Government because they think that it is a Censure Motion. Yesterday, one Member of the Ruling Party, Shri Nishikant Dubey, placed an Adjournment Motion. Was he doing censure against the Government? I do not know about it. And you allowed him and he read out his motion. Shri Premachandran has given a notice for Censure Motion and you are not allowing that. What is this Government doing? … (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, my point of order is in respect of Rule 376 as well as Rule 184.

Sir, I have given a notice for Censure Motion under Rule 184 on 24th July, 2015 stating six reasons but unfortunately, the Motion which is accepted is under Rule 193 by the Government. I would like to know what happened to my Censure Motion. Has it been disallowed? If it is disallowed, on what grounds has it been disallowed? There is no information in this regard. Sir, I have given the notice under specific rules and clear terms and conditions. But unfortunately, we have no information on this.… (*Interruptions*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : डिप्टी स्पीकर सर, ऐसी मोनोपली नहीं चलेगी। There cannot be a point of order when there is no order. They create disorder and raise point of order. What is this order which I am not able to understand all these years? मज़ाक बना रहे हैं। And Prof. Saugata Roy is a very senior Member. There is disorder in the House and he

is raising point of order and then making commentary about the Chair and advising the Deputy-Speaker also not to be impatient. Who is impatient?

So far as the Government is concerned, the Government is ready for discussion from day one. Admission of Adjournment Motion is decided by the hon. Speaker. The Speaker has reserved it. ये क्या है? What is this bulldozing? ये बुलडोज़िंग नहीं चलेगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा।

Sir, my suggestion is, if they are not ready for discussion and they have not come prepared, let them not have it. There is no problem. The Government is ready for discussion right now. The Government is ready for discussion any time. If they are not ready, I am not pressing for discussion because I want order in the House. Let them go and take their seats and resume the House in the normal way and then let us transact the business. The Government has no role at all in this. They should understand what is an Adjournment Motion.

HON. DEPUTY SPEAKER: While the notices of Adjournment Motion have been received, the same have however been disallowed by the hon. Speaker.

PROF. SAUGATA ROY: Why?

HON. DEPUTY SPEAKER: Hence, there does not arise any occasion for a point of order.

Shri Arjun Ram Meghwal.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। काफी लंबे समय से जो आई.पी.एल. कंट्रोवर्सी को लेकर स्थिति बनी है, मैं उस संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.30 p.m.

15.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

15.30 hrs

At this stage, Prof. K.V. Thomas, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ?

…(व्यवधान)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Madam, I have a point of order.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ आर्डर किस बात पर होता है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी तो काम शुरू ही नहीं किया है।

…(व्यवधान)

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Under Rule 56, Madam.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: We have not started doing anything, what is the point of order?

… (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम स्पीकर, क्या स्पीकर के ऊपर कागज फेंकना प्वाइंट ऑफ आर्डर है?...(व्यवधान) इस सदन में क्या हो रहा है?...(व्यवधान) What is happening in this House? I am not able to understand.… (*Interruptions*) क्या यह कोई तरीका है?...(व्यवधान) अगर इन्हें बहस नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, बहस मत कीजिए।...(व्यवधान) बहस किए बगैर सदन की अवहेलना मत कीजिए।...(व्यवधान) चेयर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) कागज फेंकना, नारे लगाना, प्वाइंट ऑफ आर्डर, ये सब क्या है।...(व्यवधान) हाउस नहीं चलाना है तो क्या वह नहीं चलेगा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is not fair.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, we will take another discussion under Rule 193, if they do not want.

… (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ये बहस के लिए तैयार नहीं हैं, इन्हें बहस नहीं चाहिए।…(व्यवधान) ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आगे बढ़िए।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Are you not interested in discussion?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do not speak from here; please go to your seat. This is not the way. I am sorry.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, जब डिप्टी स्पीकर साहब चेयर में थे, उस वक्त ही हमने यहां सवा दो बजे यह सवाल उठाया था।…(व्यवधान) हमने कहा कि हमने एडजर्नमेंट मोशन के तहत जो विषय चर्चा के लिए दिया है, आप उसे स्वीकार कीजिए।…(व्यवधान) हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। …(व्यवधान) लेकिन इसे तोड़-मरोड़कर वे चाहते हैं कि नियम 193 के अंतर्गत लाएं। इसे डॉयलूट करके सिर्फ चर्चा करके डिसबर्स नहीं होना चाहते। …(व्यवधान) मोशन मूव होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, गवर्नमैंट साइड का…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kharge *ji*, now listen to me.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The Government has got brute majority. Let them prove it. … (*Interruptions*) Under Rule 56, let them accept it. We are ready to discuss now only.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please. Karunakaran *ji*, Prof. Saugata Roy I was there inside; the Deputy Speaker has heard you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: There is nothing like that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने एडजर्मेंट मोशन दिया था और लोगों ने भी अलग-अलग विषय पर एडजर्मेंट मोशन दिया था।

,…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please listen to me.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Ruling is always given by the Speaker and not by them. I have disallowed all these Adjournment Motion notices.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Once the Adjournment Motion was disallowed then it was said: "They are ready for discussion." But others are not ready.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can discuss the whole issue. After that the concerned Minister will reply.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you are ready to discuss it then its okay. If you do not want to discuss it, then we will start another issue under Rule 193.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have disallowed your Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If they are ready, we will take up the discussion. … (*Interruptions*) We are saying this from day one. If they are not ready or afraid of discussion or want to go away, I do not force them. … (*Interruptions*) It is their own choice. The Government is ready from the day one for discussion on IPL, BPL and other issues. We have been saying it very clearly from day one. …

(*Interruptions*) Nobody can question the Speaker's ruling. Coming here and throwing papers on the Deputy Speaker, it is totally unbecoming on the part of the parties.… (*Interruptions*) They should not do it. Khargeji, being a senior Member, should not allow this. … (*Interruptions*) Please go to another issue. We have no problem. If they do not want to discuss it, we have no problem. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Khargeji, Speaker has disallowed your Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Your issue is the same.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: When it is a controversy and other related issues or whatever it is, you can discuss it. What is the problem?

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I just want to bring one thing to your kind notice. How can the BJP Chief Whip give notice for a discussion on the IPL scandal and other related issues? He is not at all concerned … (*Interruptions*) There are no charges against the Minister. He has no grievance against the Minister. How can he give this notice? It is just to dilute our notice. … (*Interruptions*) Just not to discuss it and to escape from this, they are doing it. … (*Interruptions*) We do not want any discussion under Rule 193. We want this discussion under Rule 56. We are ready to discuss that. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Khargeji, we can do one thing. खड़गे जी, आप अगर इस मोशन पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, एडजर्मेंट मोशन को मैं एलाऊ नहीं कर रही हूं। यह बात आप मान लीजिए। आप वर्डिकट नहीं दे सकते हैं। सभी दूसरी पार्टीज दूसरे विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। You can discuss whatever it is. If you are not ready, we will take up another discussion under Rule 193.

… (*Interruptions*)

<u>15.39 hrs.</u>

<u>DISCUSSION UNDER RULE 193</u>
(ii) Sustainable Development Goals - Contd.

HON. SPEAKER: Now, दूसरा 193 का जो विषय है that is about Sustainable Development Goals – Shri Prahlad Patel.

… (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी देश के विकास के लिए बातें जरूरी हैं उनमें सबसे अहम बात यह है। … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4 o'clock.

<u>15.40 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till
Sixteen of the Clock.

____

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, he wants to say something.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please, Shri Muniyappa wants to say something.

… (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Madam, kindly go through 58 (3). … (*Interruptions*) It states that : "The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence involving responsibility of the Government of India.". This matter involves the Government of India. Who are the aggrieved persons? It is any one of the Members belonging to the Opposition Party. … (*Interruptions*) A Ruling Party Member cannot be an aggrieved person to file this application under Rule 193 when we have already filed the Adjournment Motion. Any other Member can file an Adjournment Motion for tomorrow to allow us to file it. Of course, once you have rejected the same person is not able to file it, and the other person can move it tomorrow. You allowed them to move this one, and this is a very important matter. This issue I wanted to clarify to you, Madam. He is a Member of the Ruling Party and he is not an aggrieved person. This issue can be understood by the Members of the Ruling Party. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: No, one thing is there. When Adjournment Motion is disallowed, any Member can do it, and it is not necessary and there is no question of aggrieved person or something.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Any Member can raise any issue under Rule 193.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You also can give it under Rule 193.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): On what grounds? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you give the notice under Rule 193, then I am ready. I have told him. I am accepting it under Rule 193.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But he can give. Under Rule 193, any Member can give the notice.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You cannot say that he is not an aggrieved person.

… (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA: As a rule, I just want a clarification from the Speaker. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He wants a discussion on the IPL. That is the only thing.

… (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam, Speaker, I want a clarification. … (*Interruptions*) In a case at any time when the Ruling Party is giving a notice on the same Government involving some corruption or … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not about corruption. We are discussing about the IPL issue.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, kindly listen to me. … (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): I want to a clarification from the Speaker on this issue. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, as he has raised an issue, let us coolly discuss it. IPL is not the Government programme. … (*Interruptions*) It is a programme concerning the entire country. … (*Interruptions*) What is this? What has happened to these

people? … (*Interruptions*) I am not able to understand. Any Member of the House can take up a discussion in the House. … (*Interruptions*) There are umpteen number of instances. If you want, I will quote the Rules where the Adjournment Motion has been converted into Discussion under Rule 193. I have instances with me. … (*Interruptions*)

Secondly, as regards Rule 193, any Member, means Member of this House. Let it be simple. … (*Interruptions*)

Thirdly, we are not discussing something concerning the Government alone. It is an issue concerning the entire country. The country is agitated. We are discussing IPL and we are discussing other issues also. … (*Interruptions*) There is nothing wrong. … (*Interruptions*) Let them join the discussion. … (*Interruptions*) Let them start the discussion. … (*Interruptions*) The Government has no problem at all. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shrimati Meenakashi Lekhi wants to say something.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : The Minister is also here. … (*Interruptions*) The Sports Minister is here, and the External Affairs Minister will be joining us. … (*Interruptions*) The Sports Minister, External Affairs Minister, and if necessary, the Finance Minister can also intervene. There is no problem. We have been saying this from day one. … (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Madam, this is a legacy, which the present Government has inherited from the past. … (*Interruptions*) So, deeds of the past have to be discussed to reach at the present situation. … (*Interruptions*)

16.04 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

Rule 193 states that : "Any member desirous of raising a discussion on a matter of urgent public importance …". … (*Interruptions*) So, this is a matter of

public importance, and this is what we had inherited from the past Government and we want to discuss it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Rightly said.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What she has mentioned is right that any Member can raise it under Rule 193.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Sushri Uma Bharti wants to say something.

… (*Interruptions*)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : मैं नियम 376 के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रही हूं। महोदया मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने का जो नियम है, वह नियम 349 है, जिसके अन्तर्गत स्पीकर के सामने कागज नहीं फेंके जा सकते। स्पीकर के ऊपर, उनके मुहं के सामने तख्ती नहीं लगाई जा सकती।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं और कांग्रेस के माननीय नेता महोदया से भी अनुरोध करती हूं कि स्पीकार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए वे अपने सदस्यों की प्रताड़ना करें। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन सदस्यों पर आप नियमानुसार कार्यवाही करें और मैं उनके दुव्यवहार की, जो उन्होंने माननीय चेयर का अपमान किया है, इस सदन में निन्दा करती हूं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इनके इस कृत्य के ऊपर आप उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं देख रही हूं सुबह से। This is not the way.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुबह से जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है। This is not the way. I am watching you since morning. मैंने यह भी समझा है कि जब मैं यहां नहीं थी और माननीय डिप्टी स्पीकर जब चेयर पर बैठे थे, उस समय जिस तरीके से कागज फेंके गए कुछ मेम्बर्स के द्वारा, वह कदापि माफ करने लायक नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सही तरीका नहीं है। Please do not behave like that.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले आप पीछे हट जाओ। यह कोई तरीका नहीं है। This is not the way. This is not the way. You go away from here.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा अनुरोध है, आप इसे देखिए, यह स्पीकर के सामने हो रहा है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका यह तरीका उचित नहीं है। स्पीकर के सामने आकर जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, जिसके तरीके से आपका व्यवहार स्पीकर के सामने सुबह से है। From morning itself, I have seen it. This is not the way, I am telling you again and again and I am giving a warning to all of you. This is not the way.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कागज फेंकना कदापि उचित नहीं है। You should not behave like this. You should first behave yourself.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You should first behave yourself; then, I will tell others also. I am sorry to say that this is not the way.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आज बहुत दुखी हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने चेयर के साथ व्यवहार किया है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 12th of August, 2015, at 11.00 A.M.

I really feel sorry that I have to adjourn the House in this way.

16.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 12, 2015/Shravana 21, 1937 (Saka).